भूमिका

आज धरती पर लोकतन्त्रीय व्यवस्थापन में जहाँ सरकार द्वारा सामाजिक व्यवस्था किया जा रहा है, वहीं एक विशिष्ट समुदाय के द्वारा पर्सनल लॉ को बनाना और उतारना बहुत ही अटपटा और अस्वीकृत योग्य है। परन्तु जहां धर्मों के लिए सरकार द्वारा पर्सनल लॉ बनाया जा रहा है और स्वतन्त्र रूप से सरकारी तन्त्र द्वारा उनका संरक्षण और प्रचार प्रसार किया जा रहा है वहाँ धर्मों के जन्म होने से पूर्व की व्यवस्था, धर्मों से पहले की संस्कृति और सभ्यता को मानने वाले लोगों को सरकार और सरकारी मिशनरियों द्वारा ध्यान न दिया जाना वास्तविक लोकतन्त्र के धरती पर कायम होने में संदेह प्रकट करती है और कर रही है। आज भी धर्मों की उत्पत्ति से पुर्व के लोग शासन सत्ता और गाहे बगाहे अधिक शक्ति अर्जित कर लेने वाले लोगों के द्वारा शोषण के शिकार हो रहे हैं और शासन सत्ता पर आने वाले लोग और धर्म के होने की वजह से धर्म की उत्पत्ति के पुर्व के लोगों का कभी कार्गर उपाय नहीं की हैं और न कर रहे हैं। उनका दुर्भाग्य यह भी है कि धर्म की उत्पत्ति से पुर्व के लोगों की संस्कृति और सभ्यता को बचाये रखने और उसका आज भी पालन करने वाले लोगों को विधिक रूप में लाने के लिए उक्त लोगों की सर्वोत्कृष्ट परम्पराओं को संजोने और लिखित रूप में लाने के लिए यह पुस्तक लिखित किया जा रहा है। साधारण पुस्तकों से थोड़ा सा अलग विधि के रूप में हर तथ्यों को पैरा में अलग अलग तथा अध्यायों में संरक्षित किया गया है ऐसा इसलिए कि धर्म से पुर्व की संस्कृति और सभ्यता को मानने वाले लोग जो यह मानते हैं कि इध धरती पर प्रकृति की गोद में जन्म लेने वाले सब का इस धरती पर बराबर का अधिकार है तथा धरती पर आदम रूप में जन्म लेने वाले सब एक ही परिवार हैं, वसुधैव कुटुम्बकम् तथा जियो और जीने दो की भावना कूट कूट कर भरी है जिसकी वजह से ही तमाम धर्मों और पन्थों का उदय हुआ अन्यथा जीवन की उत्पत्ति और समस्त संस्कृति और सभ्यता को देने और लाने वाले दृण रहते और किसी अन्य परम्परा का उदय ही न होने देते। उन्हीं की संस्कृति और सभ्यता को लेकर उसे तोड़ मरोड़ कर उसे अच्छा बताकर उन्हीं के लोंगों को बर्गलाया गया और ऊँच नीच की भावना तथा जंगलराज को आदम राज में घुसाने और चलाने का कार्य किया गया जो आज भी पुरजोर कायम है ऐसी स्थिति में भी जंगलराज को समाप्त करने के लिए ऊँच नीच की भावना, बुर्जुआ और सर्वहारा की नीति जो आज रग रग में बस गई है को समाप्त करने खासकर उक्त प्रकृति पूजकों में तो इसका चलन न आये और प्रकृति पूजक प्रकृति पूजक बने रहें तथा वसुधैव कुटुम्बकम और जियो और जीने दो की भावना धरती पर कायम रखने में यदि सभी लोग न रखे तो उक्त प्रकृति पूजक लोगों में तो वह ज्यों की त्यों बरकरार रहे कम न हो के लिए भी विधि को बनाना और उन्हें एक विधि पर चलाकर वास्तविक लोकतन्त्र को स्थापित रखने आर आदम राज में से जंगलराज को गायव करने के लिए भी यह विधि बनाना आवश्यक ही नहीं अति अति अति आवश्यक हो गया था अस्तु उक्त धर्म की उत्पत्तियों से पुर्व के लोगों के लिए यह विधि बनाया जा रहा है और आशा किया जा रहा है कि अब प्रकृति पूजक लोग इधर उधर न भटक कर कि यह धर्म अच्छा है वह धर्म अच्छा है के चक्कर में न पड़कर तथा इनके उनके बहकावे ने न पड़कर प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए तथा आदम समाज और आदम जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बढ़ चढ़ कर सब बहकावे की चीजों को छोड़कर अपनी इस पर्सनल लॉ को स्वीकृत करेंगे और इस पर्सनल लॉ पर चलकर प्रकृति पर्यावरण और समाज को स्वच्छ, सुन्दर, सुरम्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित करेंगे।

इस पर्सनल लॉ में धर्म से परे प्रकृति पर आश्रित समुदाय जो बिखरित है को एक में समाहित करने का प्रयास किया गया है और सभी प्रकृति पूजकों को एक नाम निषाद के जाने और कहे जाने की घोषणा की गई है। निषाद ही क्यों कहा जाय इसके लिए निषाद शब्द की व्यापकता को एक अध्याय में रखा गया है। स्थानीय इकाई का निर्माण कैसे किया जायेगा कैसे अन्य इकाइयों का गठन किया जायेगा और कैसे संचालन किया जायेगा सबको समाहित किया गया है। समाजिक समस्याओं को लोगों से लेकर उन सामाजिक समस्याओं को दूर करने की भी व्यवस्था सुझाई गई है जिसमें 24 अनुभाग बनाने की व्यवस्था की गई है जो निषाद समाज के लोगों के समस्याओं को समाप्त करने में सहयोग करेंगे और समाज से समस्याओं को समाप्त करने के पहल में साथ देंगे। साथ ही निषाद के अधिकार, उनके कर्तव्य और दायित्व की भी व्यवस्था दी गई है। सबसे मूल में है कि पाँच निषाद सिद्धान्त दिये गये हैं जिसमें शक्ति के दुरुपयोग को अपराध माना गया है जिसमें गलत होना देखकर चुप रहना और अधिक सोना भी अपराध की श्रेणी में आयेगा। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पूरा का पूरा निषाद साथ देगा और इस निषाद पर्सनल लॉ पर चलकर निषाद समाज को एक नई ऊँचाइयों पर पहुचायेंगे।

इस निषाद पर्सनल लॉ पर लोगों के राय, विचार, टिप्पड़ी सादर प्रार्थनीय है। .....

निषाद पर्सनल लॉ उद्देश्यिका (प्रस्तावना)

हम जल, जंगल, पहाड़, नदी घाटी के वासी एवं प्रकृति पर आश्रित समुदाय, आदिवासी सभी को मिलाकर बनने वाले संगठन को निषाद समाज कहे जाने और स्वयं को उसका सदस्य कहे जाने को आबद्ध होते हैं

तथा इस धरती, प्रकृति और समाज को स्वच्छ, सुन्दर, सुरम्य, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित करने व कराने के लिए

तथा उसमें समाहित समस्त सजीवों, पादपों एवं प्राकृतिक वस्तुओं को उनके जीवन लक्ष्य एवं आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्था एवं स्थान प्रदान करने व कराने के साथ उनकी जीवन रक्षा एवं सुरक्षा तथा उनकी आपस में एक दूसरे के प्रति सहयोग, उपयोग और उपभोग में और अधिक सहयोगी तथा और अधिक उपयोगी, बनाने के लिए तथा उनसे सम्बन्धित अन्य आवश्यक विकास एवं निर्बन्धन कार्यो के साथ,

समाज में अमन, चैन, शांति व साम्य की पराकाष्ठा प्राप्त करने व कराने के लिए तथा

उसमें समाहित समस्त बुद्धिजीवी, विवेकशील, सामाजिक एवं सर्वोत्कृष्ट प्राकृतिक प्राणियों की उनमें पराकाष्ठा सिद्ध करने के लिए और कराने के लिए उन सब व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक न्याय!, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वच्छंदता निर्बन्धक स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा अवसर, ज्ञान विज्ञान, साधन संसाधन, विधि विधायन की समता प्राप्त कराने के लिए सबके सब में व्यक्ति की गरिमा, प्रकृति की शुद्धता, धरती व समाज की एकता व अखण्डता शुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर धरती पर लोक व्यवस्था के लिए हम अपनी निषाद पर्सनल लॉ को स्वीकृत एवं आत्मार्पित करते हैं।

निषाद पर्सनल लॉ व नियमावली, विषय सूची

पैरा	विषय	पृष्ठ सं
	विषय सूची	3-7
	उद्देश्यिका	8
	अध्याय 1 प्रारम्भिक	9-11
1.	नाम	9
2.	पता	9
3.	घोषड़ा एवं विस्तार	10
4.	विस्तारक एव प्रारम्भिक कार्यकारणी बनाया जाना	10-11
	अध्याय 2 स्थानीय इकाई	12-14
5.	स्थानीय विस्तारक	12
6.	स्थानीय प्रारम्भिक परिवार सूची	12
7.	स्थानीय इकाई निर्माण या पुनर्गठन प्रार्थना पत्र	12
8.	बैठक में परिवार पंजीकरण किया जाना	12
9.	पंजीकृत परिवार पंजिका में दर्ज किया जाना, समूह निर्माण एवं 12 वर्ष की कार्यकारणी का जारी किया जाना	12
10.	समूह के पद व पदाधिकारी	12
11.	हर परिवार द्वारा न्यूनतम वार्षिक अंशदान का दिया जाना अनिवार्य	12
12.	कार्यकारणी गठन की सूचना	12
13.	स्थाई कार्यकारणी के साथ अन्य कार्यकारणियों का गठन किया जाना	13
14.	स्थानीय विस्तारक को सेवा शुल्क	13
15.	निषाद संस्कृति प्रचारक	13
16.	निषाद संस्कृति प्रचारक का चयन	13
17.	निषाद संस्कृति प्रचारक को सेवा शुल्क	13
18.	निषाद संस्कार केन्द्र	13
19.	निषाद संस्कृति सेवक	13
20.	निषाद संस्कृति सेवक की योग्यता	13
21.	संस्कृति का प्रशिक्षण एवं सेवकों का चयन	13
22.	संस्कृति सेवकों द्वारा आयोजकों से शुल्क न लिया जाना	14
	अध्याय 3 **जल, जंगल, पहाड़ एवं नदी घाटी के वासी एवं प्रकृति पर आश्रित समुदाय, आदिवासी के सम्बोधन के लिए एक शब्द निषाद और उसकी महत्ता**	14-16
23.	जल, जंगल, पहाड़, नदी घाटी के वासी एवं प्रकृति पर आश्रित समुदाय, आदिवासी के लिए एक शब्द (निषाद)	14
24.	निषाद शब्द की व्यापकता	14

	निषाद शब्द का अर्थ	14
	निषाद सुर का सातवां पद	15
	पूरा जीवन निषाद है	15
	शरीर में हृदय निषाद है	15
	दीप जलाने वाला हर व्यक्ति निषाद है	15
	भोर(सूर्य के निकलने का समय) की बेला है निषाद	15
	जीवन की उत्पत्ति के समय का समाज है निषाद	15-16
	कौन निषाद है? कौन निषाद नहीं है?	16
	अध्याय 4 **निषाद की शासन समिति**	16-17
25.	निषाद पर्सनल लॉ की शासन समिति	16
26.	निषाद पर्सनल लॉ के शासन समिति में पद	17
27.	शासन समिति का गठन	17
28.	शासन समिति का कर्तव्य, अधिकार एवं दायित्व	17
29.	शासन समिति का कार्यकाल	17
30.	आकस्मिक रिक्ति या भंग की दशा में उपबंध	17
31.	शासन समिति को कोई एक व्यवसाय या प्रतिष्ठान स्थापित करने और आजीवन चलाने और उक्त का 50% लाभ अपनी उक्त शासन समिति के सदस्यों में बराबर बराबर लेने का अधिकार	17
	अध्याय 5 **निषाद अनुशासन समितियां**	17-19
32.	सामाजिक अनुशासन समिति	17-18
33.	आर्थिक अनुशासन समिति	18
34.	राजनैतिक अनुशासन समिति	18
35.	शैक्षिक अनुशासन समिति	18
36.	सांस्कृतिक अनुशासन समिति	19
37.	निषाद अनुशासन समिति	19
38.	अनुशासन समिति के आदेश निर्देश की अपील	19
	अध्याय 6 **प्रशासन अनुभाग**	19-25
39.	निषाद के प्रशासन अनुभाग	19
40.	क्षेत्रपाल अनुभाग (प्रथम अनुभाग)	19
	निषाद परिवारों को एक निश्चित स्थाई प्लाट में व्यवस्थित किये जाने का प्रयास	20-21
41.	निषाद परिवार एवं सदस्यता अनुभाग (द्वितीय अनुभाग)	21
42.	निषाद कर्तव्य, अधिकार, दायित्व, व्यक्ति एवं व्यक्तित्व निर्धारण अनुभाग (तृतीय अनुभाग	21
43.	निषाद मानक एवं निश्चितता अनुभाग (चतुर्थ अनुभाग)	21

44.	निषाद न्यायिक अनुभाग (पाँचवा अनुभाग)	22
45.	अनुपालन एवं दाण्डिक अनुभाग (छठाँ अनुभाग)	22
46.	अन्वेषण अनुभाग (सातवाँ अनुभाग)	22
47.	जाँच अनुभाग(आठवाँ अनुभाग)	22
48.	शिक्षा अनुभाग (नवाँ अनुभाग)	22
49.	स्वास्थ्य अनुभाग (दशम अनुभाग)	22-23
50.	वस्त्र एवं कपड़ा अनुभाग (ग्यारहवाँ अनुभाग)	23
51.	वस्तु एवं संसाधन अनुभाग (बारहवाँ अनुभाग)	23
52.	यातायात, परिवहन अनुभाग (त्रयोदश अनुभाग)	23
53.	कृषि, बागवानी, फल, सब्जियाँ एवं बीज संरक्षण अनुभाग (चौदहवाँ अनुभाग)	23
54.	उद्योग अनुभाग (पन्द्रहवाँ अनुभाग)	23
55.	व्यापार विपणन अनुभाग (सोलहवाँ अनुभाग)	24
56.	विज्ञान एवं आविष्कार अनुभाग (सत्रहवाँ अनुभाग)	24
57.	पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, वन्यजीव, पक्षियों एवं जलीय जीव संरक्षण अनुभाग (अट्ठारहवाँ अनुभाग)	24
58.	खनिज एवं प्राकृतिक व्यवस्था अनुभाग (उन्नीसवाँ अनुभाग)	24
59.	सूचना एवं संचार अनुभाग (बीसवाँ अनुभाग)	24
60.	कला, खेल, मनोरंजन एवं संस्कृति अनुभाग (इक्कीसवाँ अनुभाग)	24
61.	मतदाता मंच एवं संरक्षण अनुभाग (बाइसवाँ अनुभाग)	24
62.	संरक्षण एवं चयन अनुभाग (तेइसवाँ अनुभाग)	24-25
63.	विपक्ष अनुभाग (चौबीसवाँ अनुभाग)	25
64.	प्रशासन अनुभाग में चयन और योग्यता	25
65.	प्रशासन अनुभाग में सेवकों को यथोचित मानदेय का दिया जाना	25
	अध्याय 7 **निषाद का अधिकार, कर्तव्यदायित्व , और निषेध**	25-26
66.	निषाद के प्रत्येक सदस्य का अधिकार	25
67.	निषाद का कर्तव्य	25
68.	निषाद का दायित्व	26
69.	निषाद के लिए निषेध	26
70.	निषाद सिद्धान्त	26
	अध्याय 8 **प्रकीर्ण**	27-32
71.	निषाद, कार्य संचालन अंग एवं ढाँचा	27
72.	झंडा और यूनीक चिन्ह	27

	शासन समिति के पदाधिकारियों का चयन तथा पदों के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व	27
73.	निषाद शासन समिति के पदाधिकारी	27
74.	पदों के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व	27
75.	पदाधिकारियों का चयन	28
76.	पंचपरीक्षण न्यागमन पद्धति	28 -29
77.	चयन के लिए सूचना और समय	29
78.	निषाद शासन समिति की जिम्मेदारी	29
79.	शासन समिति को अपने उद्देश्य के आधार पर कोष खुलवाने और उक्त उद्देश्य में उपयोग करने का अधिकार	29
80.	हर स्थानीय स्तर पर स्मृति अंश दान कोष का निर्माण और किसी मृतक को पीतांबर देने और तेरहवीं करने की रोक और पीतांबर व तेरहवीं की राशि स्मृति अंश दान कोष में जमा किया जाना तथा उक्त राशि को स्मृति प्रतियोगिता में उपयोग में लाया जाना	29 -30
81.	कठिनाइयों को दूर किया जाना तथा पर्सनल लॉ में संसोधन एवं परिवर्तन	30
82.	निषाद पर्सनल लॉ स्वीकृति प्रस्ताव	30
83.	पर्सनल लॉ बनाये जाने और सरकार के समक्ष मान्यता हेतु रखे जाने के समय के सभी लोगों का संकल्प पत्र लिया जाना	30
84.	निषाद पर्सनल लॉ स्वीकृत संकल्प (सामूहिक)	30-31
85.	निषाद पर्सनल लॉ स्वीकृत संकल्प (व्यक्तिगत)	31
86.	निषाद पर्सनल लॉ का लागू होना	31
87.	आनलाइन विस्तार	31-32
88.	**पूरे भारत देश को कवर करने का कार्यक्रम**	32
89.	**निषाद पर्सनल लॉ प्रकाशन हेतु शुभकामना संदेश हेतु आह्वान्ह और दातागण को मिलाकर प्रवर्तन समिति बनाया जाना**	32
नियम	**नियमावली**	**33-59**
3.	सदस्यता आवेदन पत्र प्ररूप 1	34
4.	सदस्यता पंजिका प्ररूप 2	35
5.	विस्तार पंजिका (क्षेत्र) प्ररूप 3	36
6.	विस्तार पंजिका (जाति) प्ररूप 4	37
7.	विस्तारक आवेदन पत्र प्ररूप 5	38
8.	विस्तार सक्रिय करने हेतु सूचना प्ररूप 6	39
9.	विस्तारक / संचालक हटाये जाने का पत्र प्ररूप 7	40
10.	विस्तारक / संचालक बनाये जाने का पत्र (प्ररूप 8)	41
11.	प्रारम्भिक कार्यकारणी निर्माण बैठक कार्यवाही प्ररूप 9	42
12.	प्रस्तावित कार्यकारणी प्ररूप 10	43
13.	उच्चस्त कार्यकारणी को अनुमोदन हेतु प्रार्थना पत्र प्ररूप 11	43
14.	कार्य अधिकार पत्र प्ररूप 12	44

15.	बैंक अकाउंट खोले जाने की सूचना प्ररूप 14	45
16.	कार्यकारणी के कार्य न किये जाने की सूचना पैरा 4(7) नोट प्ररूप 15	46
17.	कार्यकारणी भंग किये जाने का प्ररूप पैरा 4(7) नोट प्ररूप 16	47
18.	स्थानीय विस्तारक आवेदन प्ररूप 17	48
19.	स्थानीय प्रस्तावित परिवार सूची पैरा 6 प्ररूप 18	49
20.	निषाद समाज स्थानीय इकाई निर्माण हेतु पंजीकरण प्रस्ताव पत्र प्ररूप 19	50
	प्ररूप 19 का पृष्ठ	51
21.	निषाद समाज स्थानीय इकाई निर्माण बैठक सूचना प्ररूप 20	52
22.	निषाद परिवार पंजिका प्ररूप 21	53
23.	परिवार पंजीकरण रसीद प्ररूप 22	54
24.	निषाद समाज पंजीकृत परिवार पंजिका प्ररूप 23	54
25.	निषाद विपक्ष परिवार पंजिका प्ररूप 24	55
26.	12 वर्ष की कार्यकारणी प्ररूप 25	55
27.	शपथ प्ररूप 26	56
28.	किसी नये व्यक्ति को पर्सनल लॉ देने का प्ररूप	56-57
29.	निषाद जयंती आयोजन उत्तर प्रदेश सूचना	58
30.	केवट जयंती आयोजन मध्यप्रदेश सूचना	59
31.	**अन्य जाति उपजाति के कार्यक्रमों को जोड़ने का विकल्प**	59

जल, जंगल, पहाड़, नदी घाटी के वासियों, एवं प्रकृति पर आश्रित समुदाय, सहित आदिवासियों (निषाद समाज) की पर्सनल लॉ

जल, जंगल, पहाड़ एवं नदी घाटी के वासियों एवं प्रकृति पर आश्रित समुदाय सहित आदिवासियों निषाद को ट्रस्ट के रूप में निषाद की एक उपजातीय समुदाय के सदस्य निषाद रामजीत आदिवंशी द्वारा बही सं0 4 जिल्द सं0 165 के पृष्ठ सं0 31 से 48 तक क्रमांक 1 पर दि0 01/01/2021 को निषाद समाज नाम से ट्रस्ट पंजीकृत कराया गया। जिस न्यास विलेख की पैरा 6(ii) में हर स्थानीय स्तर पर न्यास की स्थानीय न्यासी वोर्ड का निर्माण कराया जाना और उन्हें संचालित कराया जाना निर्धारित है। निषाद आज अनेकों समुदाय में दूर दूर तक धरती के कोने कोने हर क्षेत्र में फैला हुआ है तथा उनके तमाम कार्यों को उक्त ट्रस्ट में किया जाना है जिसके लिए ट्रस्ट की नियम या नियमावली कम पड़ेगा। समस्त के लिए विधि बनाया जाना आवश्यक है अस्तु निम्नलिखित रूप में निषाद पर्सनल लॉ बनाई जा रही है:-

उद्देश्यिका –

हम जल, जंगल, पहाड़, नदी घाटी के वासी एवं प्रकृति पर आश्रित समुदाय, आदिवासी सभी जो जीवन की उत्पत्ति के प्रथम पायदान पर आज भी निवासित पाये जा रहे हैं तथा अग्नि की खोज करने पर अन्धकार (निषा) को मिटाने वाले, दमन करने वाले शब्द का द प्रत्यय को जोड़ने से प्राप्त नाम निषाद के नाम से भी जाने जाते हैं उसी नाम के लोग यानी निषाद के लोग कहने और मानने के साथ इसी निषाद नाम के कहे जाने को आबद्ध होते हैं तथा इस धरती, प्रकृति और समाज को स्वच्छ, सुन्दर, सुरम्य, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित करने व कराने के लिए तथा उसमें समाहित समस्त सजीवों, पादपों एवं प्राकृतिक वस्तुओं को उनके जीवन लक्ष्य एवं आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्था एवं स्थान प्रदान करने व कराने के साथ उनकी जीवन रक्षा एवं सुरक्षा तथा उनकी आपस में एक दूसरे के प्रति सहयोग, उपयोग और उपभोग में और अधिक सहयोगी तथा और अधिक उपयोगी, बनाने के लिए तथा उनसे सम्बन्धित अन्य आवश्यक विकास एवं निर्बन्धन कार्यो के साथ, समाज में अमन, चैन, शांति व साम्य की पराकाष्ठा प्राप्त करने व कराने के लिए तथा उसमें समाहित समस्त बुद्धिजीवी, विवेकशील, सामाजिक एवं सर्वोत्कृष्ट प्राकृतिक प्राणियों की उनमें पराकाष्ठा सिद्ध करने के लिए और कराने के लिए उन सब व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक न्याय!, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वच्छंदता निर्बन्धक स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा अवसर, ज्ञान विज्ञान, साधन संसाधन, विधि विधायन की समता प्राप्त कराने के लिए सबके सब में व्यक्ति की गरिमा, प्रकृति की शुद्धता, धरती व समाज की एकता व अखण्डता शुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर धरती पर लोक व्यवस्था के लिए हम अपनी इस निषाद पर्सनल लॉ को स्वीकृत एवं आत्मार्पित करते हैं।

अध्याय १ प्रारम्भिक

1. नाम :-

a. यह एक दत्तावेज है जिसका नाम निषाद पर्सनल लॉ रखा जा रहा है जिसमें जल, जंगल, पहाड़, नदी घाटी वासियों एवं प्रकृति पर आश्रित समुदाय, आदिवासियों के संगठन और उनके विकास के कार्य करने के विषय में प्रत्येक बिन्दुओं को लिखित किया गया है और इस पर्सनल लॉ के आधार पर बनने वाले संगठन को निषाद समाज कहा जायेगा।

b. **हर स्तर पर निषाद समाज की इकाई और उसका नाम** :- शासन, प्रशासन, भौगोलिक और राजनीतिक स्तर विश्व, महाद्वीप, द्वीप, राष्ट्र, राज्य, जिला, विकास खण्ड या ब्लाक, गाँव स्तर पर जितने जल, जंगल, पहाड़, नदी घाटी वासी एवं प्रकृति पर आश्रित समुदाय, आदिवासी निवासित हैं सभी को मिलाकर उस हर स्तर पर निषाद समाज की इकाई स्थापित की जायेगी।

   परन्तु राजनीतिक स्तर लोकसभा, विधानसभा तथा अन्य पर मतदाता मंच का भी निर्माण किया जा सकेगा। नगरमहापालिका व नगर निगम को राज्य स्तर माना जायेगा तथा नगरपालिका ब्लाक स्तर माना जायेगा तथा नगरपंचायत गाँव स्तर माना जायेगा।

c. इस निषाद पर्सनल लॉ द्वारा विश्व जिसका नाम पृथ्वी है में निवासित समस्त जल, जंगल, पहाड़, नदी घाटी वासियों एवं प्रकृति पर आश्रित समुदाय, आदिवासियों को समाहित करते हुए इस समाज का पुनर्निर्माण और पुनर्गठन किया जाता है इस विश्व जिसका नाम पृथ्वी है के समस्त लोगों को मिलाकर विश्व, पृथ्वी की इकाई कही जायेगी तथा इस प्रकार संगठित इकाई का नाम निषाद समाज विश्व इकाई पृथ्वी कहा जायेगा।

नोट :- इस विधान का उपयोग जिस स्तर के लिए किया जा रहा है, हर स्थान पर जहाँ कहीं भी विश्व दर्ज है के स्थान पर उसका स्तर माना जायेगा और जहाँ कहीं भी पृथ्वी दर्ज है के स्थान पर उस स्तर का नाम माना जायेगा।

2. पता :-

a. निषाद समाज अपने नाम से जमीन प्राप्त करके अपना मुख्यालय स्थापित करेगा जिसका पता निषाद समाज का पता होगा।

b. भारत के राष्ट्रीय स्तर का कार्यालय भारत के मध्य मध्यप्रदेश में होगा।

c. जब तक जमीन प्राप्त नहीं होती है तब तक इसका मुख्यालय, निर्धारित पद, पदाधिकारी का नाम व पता होगा।

d. प्रारम्भतः निषाद समाज का पता **पंजीकृत कार्यालय** C/O रमेश निषाद प्रवंधक निषाद समाज (ट्रस्ट) मोहल्ला चकप्यारअली, परगना हवेली तहसील सदर जौनपुर उत्तर प्रदेश 222001 है। सम्पर्क नं कार्यकारी 7897314809 व प्रवंधक 7275701101,

e. जबलपुर कार्यालय : निषाद समाज जिला इकाई जबलपुर कार्यालय C/O निषाद राजेन्द्र सिंह केवट पता 2582/01, पवित्र नगर, लालकुआँ, पोस्ट पोली पाथर, ग्वारीघाट रोड, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश पिन कोड 482008 है। सम्पर्क नं 9755013821

नोट :- इस पैरा में पद, पदाधिकारी का नाम व पता के स्थान पर उस स्तर के विस्तारक या अध्यक्ष या जिस पदाधिकारी के पास रखने की सहमति बने और जो पदाधिकारी सभी कागज कागजात सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी लेता है या दिया जाता है उसका पद नाम व पता होगा। विस्तारक के पास रहना प्रमुखता में होगा। जो केन्द्रीय कार्यकारणी के पास दर्ज होगी।

3. घोषणा एवं विस्तार :-

(1). निषाद पर्सनल लॉ की घोषणा आज दिनांक 10 अगस्त 2025 दिन रविवार को किया जा रहा है। इसका विस्तार स्वयं को जल, जंगल, पहाड़ एवं नदी घाटी के वासियों एवं प्रकृति पर आश्रित समुदाय सहित आदिवासियों निषाद का सदस्य मानने वाले और इस निषाद पर्सनल लॉ के आधार पर 100रूपये (केन्द्रीय कार्यालय बनने और केन्द्रीय कार्यालय का खाता खोले जाने तक) निषाद समाज के खाता सं 318321010000038 - IFSC - UBIN0931837 में भेजकर उक्त के प्रमाण के साथ प्ररूप 1 में सदस्यता स्व हस्ताक्षर स्वीकार करके अपने स्थानीय स्तर के कार्यालय में जमा करने वालों पर यह विस्तारित होगा। जिसका विवरण निषाद केन्द्रीय कार्यालय में प्ररूप 2 के पंजिका में दर्ज हो।

(2). निषाद समाज के जबलपुर मध्यप्रदेश के चालू खाता (करेंट अकाउंट) ग्वारीघाट यूको बैंक नंबर 11710210001271, ऑनलाइन सर्विस हेतु UPI ID 11710210001271@ucobank तथा IFSC UCBA0001171 में या संलग्न क्यू आर कोड में भी अपनी सदस्यता भेज सकते हैं।

4. विस्तारक और प्रारम्भिक कार्यकारणी बनाया जाना :- इस निषाद पर्सनल लॉ के विस्तार और निषाद समाज के हर क्षेत्र और स्थान तक पहुँचने के लिए

1. निषाद समाज विश्व स्तर पृथ्वी अपने विश्व स्तर की प्ररूप 3 में विस्तार पंजिका बनायेगी। जिसमें विस्तार का क्षेत्र और विस्तारक का नाम तथा विस्तार किये जाने की कार्यवाही दर्ज किया जायेगा। प्ररूप 4 में जाति, उपजाति, कुरी, कौम के विस्तार और निषाद समाज में आना और समाहित होना दर्ज किया जायेगा। जिस जाति उपजाति को निषाद समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों को जानकारी और विश्वास नहीं है कि यह निषाद समाज में आते हैं या नहीं आते हैं के सम्बन्ध में उक्त व्यक्ति जो अपने आवेदन में अपना जाति उपजाति कुरी कौम जो लिखता है और दर्ज करता है के असमंजस और प्रथम आगमन पर उक्त प्रथम आगत व्यक्ति से उक्त जाति उपजाति कुरी कौम टाइटल के प्रति एक आवेदन लिया जायेगा कि उक्त नाम या टाइटल किस क्षेत्र में लगाया जाता है और वह निषाद समाज अर्थात जल, जंगल, पहाड़, नदी घाटी वासी, प्रकृति पर आश्रित समुदाय, आदिवासी है जो अपने आपको निषाद समाज का सदस्य मानता है और निषाद समाज में अपनी उक्त जाति उपजाति कुरी कौम को समाहित रखना और एक करना चाहता है। ऐसे स्पस्टीकरण को प्राप्त करके उक्त स्तर के पदाधिकारी उस जाति उपजाति कुरी कौम का विवरण प्ररूप 4 में दर्ज करेंगे और अपने

उच्चस्त और अन्य कार्यकारणियों को प्रेषित करेंगे। ऐसे प्ररूप 4 में दर्ज जाति उपजाति कुरी कौम निषाद समाज का समुदाय/उपजाति निषाद का पर्यायवाची माना जायेगा।

2. निषाद समाज हर स्तर पर एक विस्तारक बनायेगा। जो कोई जिस स्थान क्षेत्र में निषाद समाज का विस्तार करना चाहते हैं। अपनी सदस्यता प्राप्त करके उस स्तर का विस्तारक कोई है अथवा नहीं है पैरा 2 C में दर्ज नं व पता पर पूँछताछ करके प्ररूप 5 में विस्तारक आवेदन करेंगे।
3. जिस स्तर का विस्तारक आवेदन आया है उस स्तर के यदि कोई विस्तारक हैं तब कार्यकारणी का गठन और कार्यकारणी का सक्रिय होना चेक किया जायेगा। यदि कार्यकारणी सक्रिय और न हो तो उस स्तर के विस्तारक को कार्यकारणी को सक्रिय करने को कहेंगे और सक्रिय करने की प्ररूप 6 में सूचना देंगे। 10 दिन 10 दिन के अन्तर पर उच्चस्त कार्यकारणी तीन सूचना देंगे। तब पर भी कार्यकारणी सक्रिय न हो तो उस विस्तारक को प्ररूप 7 में हटा दिया जायेगा। उक्त विस्तारक को पदच्युत करके नया विस्तारक प्ररूप 8 में बना सकेंगे।
4. विस्तारक का यह दायित्व होगा कि जितनी जल्दी हो सके विस्तारक बनने के 10 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में निषाद का विस्तार करके, उस स्तर का प्रारम्भिक कार्यकारणी गठन करायें।
5. विस्तारक अपने स्तर (स्थानीय या गाँव कार्यकारणी को छोड़कर) पर निषाद कार्यकारणी का गठन कराने के लिए दो संरक्षक जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो तथा एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष एक वरिष्ठ सचिव एक कनिष्ट सचिव और एक आडीटर तथा दो कार्यकारणी सदस्य का चयन करके नाम व पद सहित उनकी सदस्यता और बैठक की कार्यवाही प्ररूप 9 में व प्रस्तावित कार्यकारणी प्ररूप 10 में को उच्चस्त कार्यकारणी से अनुमोदन हेतु प्ररूप 11 भेजेंगे।
6. उच्चस्त कार्यकारणी ऐसा अनुमोदन आवेदन प्राप्त करके अनुमोदित करके प्रारम्भिक कार्यकारणी को कार्य अधिकार पत्र प्ररूप 12 प्रेषित करेंगे।
7. कार्यअधिकार पत्र प्राप्त करके प्रारम्भिक कार्यकारणी अपनी इकाई का बैंक अकाउंट खुलवायेंगे। अकाउंट खोले जाने की सूचना उच्चस्त कार्यकारणी को प्ररूप 14 में देंगे तथा निषाद समाज की कार्यकारणी का विधिवत कार्य और गतिविधियां संचालित करवायेंगे और शासन स्थानीय इकाई तथा अन्य स्तर पर शासन समिति तथा अन्य समितियों का विधि अनुसार गठन करायोंगे तथा प्रारम्भिक कार्यकारणी शासन समिति में सामिल रह सकेगी। आवश्यकता पड़ने पर कार्यकारणी का उस स्तर का संचालक का हैसियत रखते हुए भंग और गठन करायेंगे।

नोट – इस पैरा में विस्तारक को अपने स्तर के कार्यकारणी को भंग करने के अधिकार में संचालक का हैसियत रखते हुए उपवाक्य से यह नहीं माना जायेगा कि विस्तारक निषाद समाज के संचालक होंगे। जब कभी कार्यकारणी कार्य न कर रही हो और विधि का पालन न कर रही हो मनमाना कर रही हो ऐसी स्थिति में विस्तारक द्वारा कार्यकारणी को प्ररूप 15 से कार्य और गतिविधि सुधार करने की 10 – 10 दिन के अन्तराल पर तीन सूचना और हिदायत के उपरान्त संचालक का हैसियत प्राप्त हो जायेगा तथा कार्यकारणी को प्ररूप 16 में भंग कर सकेंगे और शासन समिति का गठन कराने के उपरान्त संचालन का अधिकार समाप्त हो जायेगा परन्तु विस्तारक बने रहेंगे।

अध्याय 2
स्थानीय इकाई

5. **स्थानीय विस्तारक** – गाँव / नगर पंचायत / वार्ड अर्थात सुगमता से पहुँच के स्थानीय स्तर पर विस्तार के लिए स्थानीय विस्तारक होंगे। स्थानीय विस्तारक बनने के लिए पैरा 4 की उपपैरा 2 के अनुसार पता करके विस्तारक बनने को अग्रसर होंगे।
6. **स्थानीय प्रारम्भिक परिवार सूची -** स्थानीय विस्तारक को अपनी स्थानीय विस्तारक आवेदन प्ररूप 17 के साथ अपने स्थानीय स्तर के निषाद समाज के परिवारों के मुखिया के नाम की सूची चूल्हा वाइज किसी एक दिशा को केन्द्र मानकर एक कोने से स्थानीय प्रस्तावित परिवार सूची प्ररूप 18 बनाकर प्रस्तुत करना होगा।
7. **स्थानीय इकाई निर्माण या पुनर्गठन प्रार्थना पत्र** - स्थानीय विस्तारक बनने के 10 दिन के अन्दर स्थानीय विस्तारक को उक्त प्रस्तावित परिवार सूची के संख्या से 10-20 अधिक निषाद स्थानीय इकाई निर्माण प्ररूप 19 या पुनर्गठन प्रार्थना पत्र देने के 10 दिन के अन्दर में का बैठक का स्थान व समय निर्धारित करके प्रार्थना पत्र प्ररूप 20 जैसी आवश्यकता हो में सभी परिवारों को एकत्र करने की सूचना देकर निर्धारित समय पर बैठक करके सभी लोगों को निषाद पर्सनल लॉ की जानकारी देंगे और पर्सनल लॉ अनुसार बनने वाली समितियों उपसमितियों और समूहों की जानकारी प्रदान करेंगे।
8. **बैठक में परिवार पंजीकरण किया जाना** – बैठक में परिवार पंजीकरण की व्यवस्था देकर निषाद परिवार पंजिका प्ररूप 21 में पंजीकरण करा सकेंगे।
9. **पंजीकृत परिवार पंजिका में दर्ज किया जाना, समूह निर्माण एवं 12 वर्ष की कार्यकारणी का जारी किया जाना –** बैठक के बाद निषाद समाज के परिवार के लोगों के घरों तक जाकर परिवार के सदस्यों का पंजीकरण परिवार पंजिका में दर्ज करेंगे। पंजीकरण शुल्क 100 रूपये की मांग करेंगे। मिलने पर आनलाइन तुरंत खाते में भेजकर उक्त के इवेंट आई डी के साथ परिवार पंजीकरण रसीद प्ररूप 22 देंगे। पंजीकरण राशि जमा करने पर उक्त परिवार को पंजीकृत परिवार पंजिका प्ररूप 23 में सामिल करेंगे जो विरोध जताता है अथवा किसी प्रकार का आक्षेप करता है उनका नाम विपक्षी परिवार पंजिका प्ररूप 24 में कारण के साथ दर्ज करेंगे और सभी पंजीकृत परिवारों की क्रमशः सूची बनाकर समूह के अनुसार 12 वर्ष की स्थाई कार्यकारणी का निर्धारण करेंगे और कार्यकारणी निर्धारण प्ररूप 25 में करके पुनः पंजीकृत परिवारों को सूचना देंगे और बैठक करके स्थाई कार्यकारणी को प्ररूप 26 में सपथ दिलायेंगे।
10. **समूह के पद व पदाधिकारी** :- समूह में उक्त परिवार की महिलाएं सामिल की जायेंगी और समूह में तीन पद होगा अध्यक्ष कोषाध्यक्ष एवं सचिव जो प्रथम चयन पर प्रथम द्वितीय और तृतीय परिवार पर होगी और प्रति वर्ष एक पद स्वतः न्यागमित होती रहेगी।
11. **हर परिवार द्वारा न्यूनतम वार्षिक अंशदान का दिया जाना अनिवार्य -** हर परिवार को 100रूपया न्यूनतम वार्षिक अंशदान देने पर ही समाज उनका प्रत्यक्ष सहयोग कर सकेगी अन्यथा प्रत्यक्ष सहयोग नहीं कर सकेगी अप्रत्यक्ष सामाजिक सहयोग ही करेगी"।
12. **कार्यकारणी गठन की सूचना** - स्थानीय कार्यकारणी गठित होकर सपथ ग्रहण करके अपने उच्चस्त कार्यकारणी को रिपोर्ट करेगी और सुचारु पूर्वक समाज कार्य करेगी।

13. **स्थाई कार्यकारणी के साथ अन्य कार्यकारणियों का गठन किया जाना** - स्थानीय विस्तारक अन्य इकाइयों का भी उसी दिनांक में कोशिश करके गठन करा लें और विस्तारक / संचालक के रूप में कार्यकारणी पर पैनी निगाह बनाये रखें।

नोट- अन्य इकाइयों में – शासन समिति, स्वयं सहायता समूह, स्थाई कार्यकारणी, सामाजिक अनुशासन समिति, आर्थिक अनुशासन समिति, राजनीतिक अनुशासन समिति, शैक्षिक अनुशासन समिति, सांस्कृतिक अनुशासन समिति, निषाद समाज अनुशासन समिति तथा अन्य भी होंगी जो समय समय पर प्रस्तावित होकर इस कालम में दर्ज कर सुझाई जांय।

14. **स्थानीय विस्तारक को सेवा शुल्क** :- प्रत्येक स्थानीय विस्तारक को उनके गाँव/नगर में के निषाद परिवार की संख्या X 5 प्रतिमाह के हिसाब से सेवा शुल्क दिया जायेगा जिसके एवज में विस्तारक को अपने स्तर पर प्रत्येक चतुर्थ सटरडे को निषाद सम्मेलन का आयोजन करना होगा और उसमें आये हुए निषाद लोगों को निषाद के नीति नियम सिद्धान्त को बताना होगा और निषाद सदस्यों द्वारा आये हुए प्रस्नों और आक्षेपों आदि का निराकरण करना होगा।

15. **निषाद संस्कृति प्रचारक** – हर स्तर पर एक निषाद संस्कृति प्रचारक दम्पत्ति होंगे। जो निषाद परिवार को सूचना देने का कार्य करेंगे तथा निषाद समाज के सांस्कृतिक कार्यों को विधि पूर्वक कराने में निषाद समाज के संस्कृति सेवकों का सहयोग करेगें।

16. **निषाद संस्कृति प्रचारक का चयन** – स्थानीय स्तर का जो कोई दम्पत्ति निषाद संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार करने के इच्छुक हों और निषाद संस्कृति और सभ्यता की जानकारी रखते हों या प्रशिक्षण प्राप्त हों निषाद संस्कृति प्रचारक के रूप में आवेदन कर सकेंगे। परन्तु एक से अधिक आवेदन होने पर उन्हें चयन की प्रक्रिया द्वारा चयनित किया जायेगा।

17. **निषाद संस्कृति प्रचारक को सेवा शुल्क** - निषाद संस्कृति प्रचारक को निषाद समाज के प्रत्येक परिवार को प्रत्येक सूचना के बावत प्रति परिवार द्वारा 1 रूपया प्रदान किया जायेगा।

18. **निषाद संस्कार केन्द्र** – निषाद समाज हर स्तर पर निषाद संस्कार केन्द्र की स्थापना करेगा और निषाद संस्कृति और सभ्यता के विकास के प्रति संस्कार केन्द्र के माध्यम से आवश्यक आयोजन प्रयोजन करेगा तथा संस्कृति प्रचारक एवं संस्कृति सेवक को प्रशिक्षण की व्यवस्था देगा तथा संस्कृति और सभ्यता में भर दी गई कुरीतियों को तर्क संगत ढंग से समाप्त कराने के प्रति अध्ययन शोध प्रचार प्रसार कराने का कार्य करेगा।

19. **निषाद संस्कृति सेवक** – हर स्तर पर निषाद संस्कृति सेवक होंगे जो निषाद समाज के परिवारों के घरों तथा अन्य सामूहिक सांस्कृतिक आयोजन और प्रयोजन को करायेंगे।

20. **निषाद संस्कृति सेवक की योग्यता** – जूनियर हाई स्कूल तथा 9वीं एवं 11वीं के छात्र या छात्राएं निषाद संस्कृति सेवक बनने के योग्य होंगे।

21. **संस्कृति का प्रशिक्षण एवं सेवकों का चयन** – शीतावकास के दौरान 8 दिन निषाद सभ्यता और संस्कृति प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें कोई भी निषाद सामिल हो सकेंगे। 8 दिन प्रशिक्षण उपरान्त परीक्षा होगा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को उनके स्थानीय स्तर के लिए एक वर्ष के लिए चयन किया जायेगा।

22. **संस्कृति सेवकों द्वारा आयोजकों से शुल्क न लिया जाना** – संस्कृति सेवक किसी भी आयोजक से किसी प्रकार का चढ़ावा इत्यादि नहीं चढ़वायेंगे और आयोजन कराने के वास्ते किसी भी आयोजक से कोई शुल्क नहीं लेंगे। यदि आयोजक चाहें तो संस्कृति सेवकों को अंग वस्त्र या शिक्षण सामग्री दक्षिणा स्वरूप दे सकेंगे और उसे प्राप्त करने में उन्हें किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी।

अध्याय 3

जल, जंगल, पहाड़ एवं नदी घाटी के वासी एवं प्रकृति पर आश्रित समुदाय, आदिवासी के सम्बोधन के लिए एक शब्द निषाद और उसकी महत्ता

23. **जल, जंगल, पहाड़, नदी घाटी के वासी एवं प्रकृति पर आश्रित समुदाय, आदिवासी के लिए एक शब्द (निषाद)** – जल, जंगल, पहाड़, नदी घाटी के वासी एवं प्रकृति पर आश्रित समुदाय, जो आदिवासी कहे जाते हैं। जो जीवन की उत्पत्ति के प्रथम पायदान पर आज भी निवासित हैं। जिनमें से ही सारी संस्कृति और सभ्यताएं निकली। उनकी संस्कृति और सभ्यता को लेकर उस संस्कृति और सभ्यता में चीटिंग धोखेवाजी डालकर ऊँच नीच बड़ा छोटा की भावना रखने वालों के द्वारा उन्हें अपने अनुरूप ढालते हुए बदलने का प्रयास आदिकाल से किया जाता रहा परन्तु उक्त आदिकालीन संस्कृति और सभ्यता उनमें आज भी भरी पड़ी है। सदैव निर्विकार रहने और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना रखने वाले अपनी संस्कृति आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः के अनुपालन में सदा छले गये। कुछ तो बदलते रहे बदले परन्तु उनमें से प्रकृति पूजक की भावना कभी नहीं गई। जो आज भी उनमें कूटकूट कर भरी है। राज सत्ता और ऊँच नींच की भावना और उसकी आग में उक्त संस्कृति और सभ्यता के लोग अलग नाम अलग संस्कृति अपनाते और बिखरते रहे परन्तु उनके अन्दर की प्रकृति पूजक की भावना कभी नहीं गई अब उन सब भूले विसरे बिखरों को संजोने के लिए यह विधि अपनाई जा रही है और उन सब के लिए एक शब्द निषाद स्वीकृत किया जा रहा है। उसी शब्द निषाद से सम्बोधित कराना उचित और श्रेयस्कर समझा जाता है और उसी निषाद नाम से सम्बोधित किये जायेंगे।

24. **निषाद शब्द की व्यापकता** – निषाद शब्द बहुत व्यापक है। इसे एक समूह, समुदाय या जाति सूचक शब्द मानना इस शब्द की महत्ता को कम करना है। निषाद शब्द की व्यापकता निषाद शब्द के अर्थ में ही छिपा है। निषाद एक संस्कृति है एक सभ्यता है जो धर्म की उत्पत्ति से पुर्व की संस्कृति और सभ्यता है जो जियो और जीने दो वसुधैव कुटुम्बकम व आचार्य देवो भवः अतिथि देवो भवः की भावना रखता है।

निषाद शब्द का अर्थ

निषाद = निः + षाद ⇒ निः = बिना, षाद = विकार ⇒ बिना + विकार ⇒ बिना विकार के

निषाद = निशा + द ⇒ निशा = अन्धकार, द = (प्रत्यय) दमनकर्ता ⇒ अन्धकार का दमनकर्ता

इस प्रकार निषाद का अर्थ बिना विकार के अन्धकार का दमनकर्ता हुआ अर्थात बिना बिकार के अंधकार का दूर करने वाला व्यक्ति निषाद है। ऐसा व्यक्ति जो अंधकार का दमन करें और विकार भी ना फैलाए वही निषाद है जो धर्म, जो कार्य, जो व्यक्ति अंधकार का दमन करें तथा उससे विकार भी ना फैले, वही वास्तविक रूप से निषाद है तथा वही व्यक्ति निषाद शब्द का संबोधन प्राप्त करने का हकदार है। यहां निषाद का अर्थ प्रकट करना निषाद है। क्योंकि यहां निषाद शब्द के भ्रांति रूपी अंधकार को समाप्त किया गया है और निषाद का वास्तविक सर्वोपयुक्त एवं सर्वोत्तम अर्थ बताया गया है। जो निषाद, निषाद शब्द की व्यापकता की तरह कार्य नहीं करता है। जो झूठ, फरेब, बेईमानी, धूर्तता का दामन पकड़े रहता है उसे निषाद नहीं कहलाना चाहिए। अगर कोई निषाद टाइटल या निषाद शब्द जाति सूचक शब्द के रूप में

लगा रहा है और वह व्यक्ति निषाद शब्द की व्यापकता की तरह कार्य नहीं कर रहा है। यहां तक कि वह अपने जीवन में अज्ञानता रूपी अंधकार को नहीं मिटाता है और ना ही मिटाने की ओर अग्रसर है तो वह निषाद शब्द का प्रयोग ना करें तो उचित है।

निषाद सुर का सातवां पद

सुर के सात रूपों सा रे गा मा प ध नी में सातवें पद नी को भी निषाद कहा जाता है जो एकदम निर्विकार एवं किसी प्रकार के प्रतान से मुक्त रहता है। जिसके बिना संगीत में सुर स्थापित करना भारी है।

पूरा जीवन निषाद है

हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था करके चार वर्णों को इंगित करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जबकि इसके साथ मूल एवं प्रधान वर्ण को जीवन की अवस्थाओं के साथ आकलन किया जाता है तो ज्ञात होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, विद्या अध्ययन करने वाला ब्राह्मण अर्थात 5 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के उम्र का व्यक्ति ब्राह्मण है तथा जो व्यक्ति क्षत्रित्व धारण करता है क्षेत्र की रक्षा करता है वह 18 वर्ष के ऊपर और 36 वर्ष का व्यक्ति क्षत्रिय है। 36 वर्ष के ऊपर जाने पर व्यक्ति केवल धन अर्जित करने एवं इकट्ठा करने की ओर अग्रसर रहता है जो 65 वर्ष की उम्र तक चलता है जो वैश्य है। 65 वर्ष के ऊपर जाने पर व्यक्ति एक जगह बैठकर सेवा लेना चाहता है तथा सेवा करना चाहता है जो शूद्र का कार्य है जो अमूमन 75 वर्ष तक चलता है। 75 वर्ष के ऊपर जाने पर व्यक्ति निर्विकार हो जाता है। दिन दुनिया से कोई वास्ता न रखते हुए बस अन्धकार के दमन कर्ता के रूप में केवल नशीहत देते रहते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो जन्म के बाद ब्रह्मचर्य के शुरू होने से पूर्व निर्विकार होता है और अंत में अंधकार का दमन कर्ता बन जाता है जो पूर्व में निषाद अंत में निषाद तो पूरा वर्ण व्यवस्था ही निषाद में समाहित है।

शरीर में हृदय निषाद है

जब वर्ण व्यवस्था को शरीर की परिभाषा में जोड़ा जाता है तो गले के ऊपर के भाग को ब्राह्मण कहा जाता है तथा भुजा को क्षत्रिय कहा जाता है कटि भाग को वैश्य कहा जाता है तथा पैरों को शूद्र कहा जाता है। इस प्रकार पूरे शरीर का वर्णन किया गया परंतु वक्ष यानी हृदय को कुछ नहीं बताया गया जो पूरे शरीर में प्रधान है और जो खून को साफ करके निर्विकार करके शरीर के समस्त अंग तक संचरण करता है उसका परिचय नहीं कराया गया इस प्रकार इस शरीर में हृदय निषाद है।

दीप जलाने वाला हर व्यक्ति निषाद है

जहां निषाद का अर्थ अन्धकार के दमन कर्ता से लगाया जाता है तो प्रकृति के अलावा इस धरती पर कोई प्राणी अगर अंधकार को मिटा सकता है तो ऐसा केवल एकमात्र प्राणी हम और आप हैं दूसरा कोई प्राणी अन्धकार को दीप जलाकर नहीं मिटा सकता है तथा अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से यदि कोई भगा सकता है तो हमारे और आप जैसा प्राणी है कोई और प्राणी नहीं है। इस प्रकार हर बुद्धिजीवी विवेकशील सामाजिक प्राणी निषाद है।

भोर(सूर्य के निकलने का समय) की बेला है निषाद

निशा का दमन करके भोर बेला आती है। इस प्रकार भोर को निषाद बेला कहा जाता है।

जीवन की उत्पत्ति के समय का समाज है निषाद

विज्ञान बताता है जीवन की उत्पत्ति नदी के किनारों से हुई है और सभ्यता का विकास भी नदी के किनारे से ही हुआ। मानव जीवन के प्रारंभिक स्थान पर आज भी वह समाज ज्यों का त्यों पड़ा है। इसी समाज से सारी सभ्यताएं निकली है और सारे समाज और सभ्यता के मानने वालों को इस समाज में पाया जा सकता है। शहरों को बसाने वाला यही समाज है जो जीवन के प्रारंभिक काल से लेकर अब तक

के सभी सभ्यताओं को जन्म दिया है और उनको समेटे हुए है। सौभाग्य से उस समाज में एक राजा को शिवपुराण में निषाद नाम से जाना गया है और उस समाज के लोग आज स्वयं को निषाद कहते हैं। इस विधि को प्रथमतः निषाद के लोगों में प्रचारित और प्रसारित किया जाएगा परंतु इससे यह कोई निश्चित नहीं होगी कि स्वयं को निषाद कहने या लिखने या पहचाने जाने वाले व्यक्ति निषाद के व्यक्ति हैं। निषाद के व्यक्ति वह कहे जाएंगे जो इस निषाद शब्द की परिभाषा को स्वीकारते हैं और उस पर चलते हैं उनका नाम इस विधि द्वारा स्थापित निषाद सदस्य पंजिका में दर्ज हो।

कौन निषाद है? कौन निषाद नहीं है?

निषाद शब्द के इस प्रकार की परिभाषा के अनुसार जो व्यक्ति चलता है अपना आचरण करता है वह निषाद है जो व्यक्ति अंधकार को समेटे रहता है अज्ञान में भटक रहा है जो अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करने का प्रयास नहीं करता है जो अंधकार को अपने अंदर से निकालता नहीं है वह निषाद नहीं है जो छल करता है जो झूठ बोलता है जो बेइमानी करता है जो भ्रष्टाचार करता है जो कपट करता है जो चाटुकारिता करता है ऐसा आचरण ऐसा व्यवहार करता है जिसको समाज में घर परिवार में देश में काल में विकार उत्पन्न होता है और अव्यवस्था फैलती है प्रकृति का ह्रास व समाज का ह्रास होता है वह निषाद नहीं है।

निषाद वह है जो झूठ नहीं बोलता है जो छल, कपट, बेईमानी, धोखा, भ्रष्टाचार नहीं करता है वह निषाद है जिसके जन्म से धरती, प्रकृति, समाज, परिवार खुशहाल हो जाए जिसके कृत्य से प्रकृति को नुकसान नहीं होता है, समाज में कोई भी विकार या विकृति नहीं आती है, किसी सत्पुरुष को कष्ट नहीं होता है, जिससे समाज में ज्ञान का आलोक फैले, समाज से हर प्रकार की कुरीतियों आदि का अंत कर दे, वह निषाद है और ऐसा करने वाला ही निषाद कहे जाने योग्य है।

अध्याय 4

निषाद समाज की शासन समिति

25. **निषाद पर्सनल लॉ की शासन समिति** – समाज एक विधिक निकाय है यह संहिता उक्त निकाय निषाद समाज की मौलिक विधि है जिससे निकाय निषाद समाज को चलायमान रखा जाना है तथा जिसके अनुसार सहमति के आधार पर निकाय निषाद समाज के प्रति लोगों अथवा उनसे सम्पृक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध, कार्य और गतिविधियां निर्धारित किये जायेंगे जिसको इस विधि अनुसार चलायमान रखने के लिए निषाद पर्सनल लॉ की अग्रलिखित पैराओं में व्यवस्थित शासन समितियाँ होंगी जिनके द्वारा यह विधि संचालित होगी।

26. **निषाद पर्सनल लॉ के शासन समिति में पद** - निषाद पर्सनल लॉ के शासन समिति में विश्व इकाई पृथ्वी में सबसे अधिक उम्र के तीन व्यक्ति संरक्षक होंगे, एक अध्यक्ष, मुख्यालय के स्थानीय निकाय से एक प्रवंधक एवं एक कोषाध्यक्ष होंगे, निम्न स्तर के सबसे बड़े स्तरों से एक एक उनकी संख्या के बराबर उपाध्यक्ष, उससे छोटे निम्न स्तरों से एक एक उनकी संख्या के बराबर सचिव होंगे, उससे छोटे स्तरों से एक एक उनकी संख्या के बराबर आडीटर होंगे, उसके बाद की इकाइयों से एक एक इकाइयों की संख्या के बराबर सदस्य कार्यकारणी होंगे। शासन समिति की एक मुद्रा होगी और शासन समिति उक्त मुद्रा में समाहित मुद्रा की कार्यसाधक होगी जो उपरोक्त शासन समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों से मिलकर बनेगी।

नोट – शासन समिति की इस प्रकार की पद वितरण सबसे निचले स्तर के स्थानीय निकाय के लिए नहीं होगी। तथा प्रारम्भिक कार्यकारणी के गठन में इस क्रम का आकलन नहीं किया जायेगा। प्रारम्भिक

कार्यकारणी पैरा 4 के अनुसार बनाई जायेगी। स्थानीय कार्यकारणी के अलावां शासन समिति अपने स्तर की क्षेत्र और विस्तार के अनुसार 10-20-30 दिनों में इस पैरा के अनुसार गठन करा लेंगे।

27. **शासन समिति का गठन** : निषाद समाज शासन समिति का गठन जिस स्तर पर किया जाना है उस स्तर के संरक्षण एवं चुनाव अनुभाग के द्वारा पंचपरीक्षण न्यायगमन पद्धति से किया जायेगा।

नोट- शासन समिति के पदों में जाति, उपजाति, कुरी और कौम का भी न्यागमन तब तक रखा जायेगा जब तक निषाद समाज के सभी जाति उपजाति को मिलाकर एक नाम नहीं कर लिया जाता।

28. **शासन समिति का कर्तव्य, अधिकार एवं दायित्व :** निषाद समाज शासन समिति को अधिकार होगा कि समाज का अधीक्षण करें। समाज कार्य को विधि अनुसार करने का कर्तव्य है। सदस्यों की समस्याओं को विधि अनुसार निराकरण कराने का दायित्व है।

29. **शासन समिति का कार्यकाल:** स्थानीय शासन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष, नगर शासन समिति का कार्यकाल 2 वर्ष, जिला शासन समिति का कार्यकाल 3 वर्ष, प्रदेश शासन समिति का कार्यकाल 4 वर्ष, राष्ट्रीय शासन समिति का कार्यकाल 5 वर्ष एवं विश्व शासन समिति का कार्यकाल 6 वर्ष होगा।

30. **आकस्मिक रिक्ति या भंग की दशा में उपबंध:** स्थानीय शासन समिति के रिक्त होने पर अग्रिम शासन समिति स्वतः न्यागमित हो जाएगी। नगर, जिला, प्रदेश, राष्ट्र या विश्व की शासन समिति के रिक्त होने की दशा में यदि कार्यकाल आधा शेष रहे तो नये शासन समिति का गठन किया जाएगा जो अपने पूरे कार्यकाल को निभायेंगे अन्यथा की स्थिति में किसी को कार्यवाहक नियुक्त किया जाएगा और कार्यकाल पूर्ण होने पर नयी शासन समिति गठन होकर अपना कार्य संचालन करेगा।

31. **शासन समिति को कोई एक व्यवसाय या प्रतिष्ठान स्थापित करने और आजीवन चलाने और उक्त का 50% लाभ अपनी उक्त शासन समिति के सदस्यों में बराबर बराबर लेने का अधिकार:** निषाद समाज शासन समिति अपने स्तर के आधार पर कोई एक व्यवसाय या प्रतिष्ठान स्थापित कर सकेगी और उक्त व्यवसाय या प्रतिष्ठान का संचालन स्थाई रूप से करेंगे। ऐसा व्यवसाय या प्रतिष्ठान उक्त समिति के सदस्यों की और समाज की साझेदारी के रूप में होगी। समिति का कार्यकाल खत्म होने या भंग होने की दशा में उक्त प्रतिष्ठान उक्त समिति के अधिकार में होगी और उक्त समिति उक्त व्यवसाय या प्रतिष्ठान का संचालन करते हुए व्यवसाय या प्रतिष्ठान से होने वाली लाभ का 25% उस व्यवसाय या प्रतिष्ठान के लिए संरक्षित रखेंगे तथा 25% उस स्तर के निषाद समाज को देंगे तथा 50% लाभ उक्त समिति के सदस्यों का संयुक्त लाभांश होगा तथा उन सदस्यों के परिवार पर न्यायगमित होगा।

अध्याय 5

निषाद अनुशासन समितियां

32. **सामाजिक अनुशासन समिति** - अवस्था में 60 वर्ष के ऊपर के सभी व्यक्ति सामाजिक अनुशासन बनाये रखने के जिम्मेदार होंगे और उनमे सबसे अधिक उम्र के 3 व्यक्ति जो चलने फिरने में समर्थ हों और समाज कार्यो में रूचि रखते हों से सामाजिक अनुशासन समिति बनेगी। समिति स्वयं अपनी पद धारण कर सकती है या पुर्व समितियों द्वारा प्राप्त कर सकती हैं। शासन समिति सामाजिक अनुशासन समिति का निर्धारण करके सबसे अधिक उम्र के तीनों व्यक्तियों को लेकर सामाजिक अनुशासन समिति का गठन करेंगे और ससम्मान सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति को अध्यक्ष दूसरे नम्बर के सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति को अनुशासन पक्ष पर व तीसरे व्यक्ति को अनुशासन विपक्ष पद पर आसीन करायेंगे।

सामाजिक अनुशासन समिति की अपनी मुहर होगी और मुहर में समाहित होकर अपना कार्य व गतिविधि करेंगी और हर कार्य लिखित में पंजिका में दर्ज रखेंगे। सामाजिक अनुशासन समिति अपना पद धारण करके सामाजिक अनुशासन को बनाये रखने का आदेश निर्देश करेंगे और सामाजिक स्तर पर आने वाले अनुशासन हीनता के मामले का निस्तारण अपने स्तर से करेंगे। अनुशासन समिति को अपने स्तर के किसी भी व्यक्ति को समिति के समक्ष उपस्थित होने और अनुशासन हीनता का पक्ष विपक्ष रखते हुए तर्क वितर्क के साथ अनुशासन बनाये रखने के प्रति किसी कार्य को करने और न करने का आदेश निर्देश करने की शक्ति होगी। अनुशासन समिति के अनुशासन बनाये रखने के आदेश के क्रम में किसी कार्य को करने और न करने के आदेश निर्देश को न मानने और अनुशासन हीनता को बनाये रखने पर शासन समिति को उक्त अनुशासन हीन व्यक्ति के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही कराकरके दण्डित कराये जाने का आदेश कर सकेंगे और ऐसा आदेश निर्देश प्राप्त करके शासन समिति प्रशासनिक अनुभाग से प्रशासनिक कार्यवाही कराते हुए न्यायिक रूप से अभियोजित और दण्डित करायेंगे।

33. **आर्थिक अनुशासन समिति** - अवस्था में 50 से ऊपर 60 वर्ष तक के सभी व्यक्ति आर्थिक व्यवस्था के जिम्मेदार होंगे। 60 वर्ष के सबसे अधिक नजदीक के 3 व्यक्तियों से मिलकर आर्थिक अनुशासन समिति बनेगी। समिति स्वयं अपनी पद धारण कर सकती है या पुर्व समितियों द्वारा प्राप्त कर सकती हैं। शासन समिति और प्रशासन समिति आर्थिक अनुशासन समिति के तीनों व्यक्तियों को उनका पद व गोपनीयता का शपथ दिलायेंगे और पद प्रदान करेंगे। पद प्राप्त करके आर्थिक अनुशासन समिति निषाद को लोगों द्वारा की जा रही आर्थिक विकास और उन्नयन के प्रति अपनी पैनी निगाह रखेंगे और आर्थिक आय व्यय के तरीकों की जाँच पूछ ताँछ और अनावश्यक, गलत व्यय पर आदेश निर्देश दे सकेंगे तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में रत निषाद के लोगों की आर्थिक विकास के प्रतिष्ठान की निरीक्षण परीक्षण और जाँच कर सकेंगे तथा उनके हेड यदि निषाद से हैं तो उन्हें बुला सकेंगे तथा आवश्यक आदेश निर्देश दे सकेंगे।

34. **राजनैतिक अनुशासन समिति** - अवस्था में 26 वर्ष से 50 वर्ष के व्यक्ति राजनैतिक भागीदार एवं जिम्मेदार होंगे। 50 वर्ष के सबसे नजदीक के उम्र के तीन व्यक्तियों को मिलाकर राजनीतिक अनुशासन समिति होगी। समिति स्वयं अपनी पद धारण कर सकती है या पुर्व समितियों द्वारा प्राप्त कर सकती हैं। शासन समिति और प्रशासन समिति राजनैतिक अनुशासन समिति के तीनों व्यक्तियों को उनके पद व गोपनीयता का शपथ दिलायेंगे और पद प्रदान करेंगे। पद प्राप्त करके राजनीतिक अनुशासन समिति निषाद समाज के लोगों द्वारा राजनीति के गतिविधियों की जाँच पूछ ताँछ और अनावश्यक, गलत राजनीति पर आवश्यक आदेश निर्देश दें सकेंगे तथा निषाद समाज की जाति उपजाति के राजिनीतिक दलों संगठनों के संस्थापकों संचालकों अथवा उनके सुपीरियर व्यक्ति जो समाज के हों तो उन्हें बुला सकेंगे अन्हें नोटिस दे सकेंगे और राजनीतिक आवश्यक आदेश निर्देश दे सकेंगे।

35. **शैक्षिक अनुशासन समिति** - 26 वर्ष तक की आयु के युवा शैक्षिक व्यवस्था के भागीदार और जिम्मेदार होंगे तथा अध्ययनरत 26वर्ष आयु के सबसे नजदीक के तीन युवाओं से मिलकर शौक्षिक अनुशासन समिति बनेगी। समिति स्वयं अपनी पद धारण कर सकती है या पुर्व समितियों द्वारा प्राप्त कर सकती हैं। शासन समिति और प्रशासन समिति शैक्षिक अनुशासन समिति के तीनों युवाओं को उनके पद व गोपनीयता का शपथ दिलायेंगे और पद प्रदान करेंगे। पद प्राप्त करके शैक्षिक अनुशासन समिति निषाद समाज के अध्ययरत छात्रों तथा निषाद समाज के शिक्षा व्यवस्था पर आवश्यक आदेश निर्देश दे सकेंगे तथा शिक्षा व्यवस्था देने में रत निषाद समाज के लोगों की निरीक्षण परीक्षण जाँच कर सकेंगे तथा उन्हें आवश्यक आदेश निर्देश दे सकेंगे।

36. **सांस्कृतिक अनुशासन समिति** - महिलाएं सांस्कृतिक आयोजन की जिम्मेदार एवं व्यवस्थापक होंगी। उम्र में सबसे सीनियर व 60 वर्ष के सबसे नजदीक और 50 वर्ष के सबसे नजदीक की 3 महिलाओं से मिलकर सास्कृतिक अनुशासन समिति बनेगी। समिति स्वयं अपनी पद धारण कर सकती है या पुर्व समितियों द्वारा प्राप्त कर सकती हैं। शासन समिति और प्रशासन समिति शैक्षिक अनुशासन समिति के तीनों महिलोओं को उनके पद व गोपनीयता का शपथ दिलायेंगे और पद प्रदान करेंगे। पद प्राप्त करके सास्कृतिक अनुशासन समिति निषाद समाज के सांस्कृतिक आयोजन प्रयोजन व उनकी व्यवस्था पर आवश्यक आदेश निर्देश दे सकेंगी तथा सांस्कृतिक व्यवस्था देने में रत निषाद समाज के लोगों की निरीक्षण परीक्षण जाँच कर सकेंगी तथा उन्हें आवश्यक आदेश निर्देश दे सकेंगी।

37. **निषाद अनुशासन समिति** – उपरोक्त पाँचों अनुशासन समितियों के प्रमुख को मिलाकर निषाद समाज अनुशासन समिति बनेगी। निषाद समाज अनुशासन समिति को उपरोक्त पाँचों अनुशासन समितियों के आदेश निर्देश के पुनर्विलोकन का अधिकार होगा तथा निषाद अनुशासन समिति सुओ मोटो किसी भी विषय पर किसी के भी अनुशासन हीनता पर कार्यवाही कर सकेंगे। जिस अनुशासन समिति के जिस आदेश से व्यथित हैं उस आदेश देने वाले बेंच के समक्ष अपनी बात रखेंगे और अस्वीकृत करने की दशा में उसी बेंच के समझ अपील का आवेदन करेंगे और अपील का आवेदन अपनी अनुशंसा के साथ अपीलीय अधिकरण को प्रेषित करेंगे।

38. **अनुशासन समिति के आदेश निर्देश की अपील** – निम्न स्तर की अनुशासन समिति के आदेश निर्देश से व्यथित व्यक्ति के अपीलीय आवेदन और अनुशासन समिति की अनुसंसा प्राप्त होने पर उच्च अनुशासन समिति अपने निम्न अनुशासन समिति के आदेश निर्देश का परीक्षण कर सकेंगे कि वास्तव में अनुशासन हीनता अन्तर्वर्लित रहा या नहीं तथा उचित आदेश निर्देश जारी किये गये हैं अथवा नहीं। ऐसे अपील सुनवाई करने वाले ऐसे प्रश्नगत आदेश निर्देश को उलट सकेंगे और आदेश निर्देश की कठोरता में ढील दे सकेंगे अथवा बढ़ा सकेंगे। जिस किसी भी अनुशासन समिति के आदेश निर्देश को अनियमित होना पाते हुए निरस्त या कठोरता कम की जाती है तो उक्त अनुशासन समिति को उक्त का सूचना दिया जायेगा और उक्त अनुशासन समिति की ऐसे आदेश निर्देश करने की स्थिति परिस्थिति को जानने पर विचार किये जाने के बाद ही उक्त अपील का आदेश निर्देश सार्वजनिक किया जायेगा। ऐसे 3 अनुशासन आदेश निर्देश के उलटे जाने या कठोरता कम किये जाने पर ऐसी प्रश्नगत समिति को अपना पद त्यागना पड़ेगा।

अध्याय 6

प्रशासन अनुभाग

39. **निषाद समाज के प्रशासन अनुभाग** – निषाद समाज की हर स्तर पर अग्रलिखित प्रशासन अनुभाग हेगा जिसमें अनुभागों के सभी प्रशासनिक कर्मचारी सामिल होंगे।

नोट – इस अध्याय का विस्तार निषाद समाज के विधिवत कार्य करने और कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी देने की आय का साधन अथवा क्षमता होने के उपरान्त किया जायेगा। जहाँ निःशुल्क कार्य करने के लिए प्रशासनिक मिल जाते हैं वहां उक्त कार्यकारणी उक्त अनुभाग को अनुमति और संस्तुति व अधिकार प्रदान कर दिया जायेगा।

40. **क्षेत्रपाल अनुभाग (प्रथम अनुभाग)** – निषाद समाज अपने लोगों के क्षेत्रों की देखभाल के लिए तथा उसके स्तरों के लोगों के क्षेत्रों सीमाओं आदि की देखभाल और व्यवस्था के लिए क्षेत्रपाल अनुभाग

रखेंगे जिसका अपना एक कार्यालय और मुद्रा होगा और अनुभाग में दो कर्मचारी होंगे जो एक दूसरे का सहयोग करते हुए समाज कार्य एक साथ मिलकर करेंगे।

(1)**निषाद परिवारों को एक निश्चित स्थाई प्लाट में व्यवस्थित किये जाने का प्रयास –** क्षेत्र पाल अनुभाग कोशिश करेगा कि निषाद समाज के प्रत्येक परिवार के पास एक स्थाई 90 मीटर गुणे 90 मीटर का स्थाई प्लाट हो और और उक्त परिवार उक्त प्लाट के उत्तर और पूरब 3-3 मीटर का रास्ता छोड़ेगे। उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग हेतु होगा जिसके सुदृढ करने की जिम्मेदारी सरकार या निषाद समाज की होगी परन्तु जिस प्लाट में से रास्ता छोड़ा गया है वह उस प्लाट पर निवासित परिवार की सम्पत्ति होगी और उसको सुरक्षित रखाने की जिम्मेदारी उस परिवार की होगी । उस परिवार के आवेदन पर सरकार निषाद को तत्कालिक रूप से उसे व्यवस्थित करना होगा ।

(2)उक्त प्लाट पर रास्ता छोड़कर पूरे प्लाट के नौ बराबर खण्ड करेंगे। जिसमें मध्य के खण्ड में गड्ढा बनाते हुए शेष खण्ड पर उसकी मिट्टी डालकर ऐसी समतलिंग करेंगे कि समस्त के वर्षा का पानी उस मध्य के गड्ढे में जाय।

(3)प्रारंभिक व्यवस्था में प्लाट वितरण के दौरान सगे भाइयों को एक साथ संलग्न प्लाट दिया जा सकेगा । परंतु दम्पत्ति पर प्रतिबन्ध ज्यों का त्यों रहेगा और भूमि व्यवस्था का प्रतिबंध ज्यों का त्यों रहेगा। केवल सुविधा यह दी जा सकेगी कि दो भाई आस पास के खण्ड में मकान बनवा सकेंगे और रास्ते के ऊपर से जोड़ सकेंगे ।

(4)चार भाई होने पर चार प्लाट को एक साथ करके रास्ते व गड्ढे का अनुपालन करते हुए एक साथ के कार्नर में मकान बनवाकर रास्ते के ऊपर से जोड़ सकेंगे और बीच में आने वाले मार्ग को उक्त स्थिति में सार्वजनिक उपयोग से छूट किया जा सकेगा।

(5)प्रारंभिक प्लाट वितरण के दौरान इस प्रकार चार, चौबीस या उससे अधिक मित्र या सगे संबंधी या एक ही संसकृति को मानने वाले एक साथ ऐसे प्लाट की मांग रखे तो उन्हें भी उपरोक्त प्रतिबन्धों के साथ दिया जा सकेगा। परंतु यहाँ सर्त यह भी रहेगी कि सरकार या निषाद समाज जब चाहे ऐसे प्लाट के निवासी परिवार, वार्ड या गांव तक के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित करा सकेगी।

(6)उक्त प्लाट के नौ खण्ड में मध्य के खण्ड में गड्ढा करके एक खण्ड में मकान आवास सरकार के अधीन किचन, बाथरूम, स्टोर रूम, स्टडी रूम, बेडरूम, एक साथ तथा भूसाघर, पशुशाला, शौचालय और अतिथि कक्ष एक साथ एक प्लाट में न्यास द्वारा निर्धारित सात श्रेणियों में से अपने श्रेणी अनुसार सरकार द्वारा स्वयं के लिए करेंगे और अन्य भूखण्ड पर कृषि करके उससे अपना जीवन निर्वाह करेंगे।

(7)उसमें से एक प्लाट में चार स्थानीय फल के पेड़ों के साथ 12 अलग - अलग पेड़ मिलाकर कुल 16 प्रकार के पेड़ों का एक बाग लगायेंगे जिसमें से उक्त दम्पत्ति तीन क्षेत्रीय फलों के पेड़ों का फल निषाद समाज को प्रदान करेंगे शेष के फल का उपयोग करेंगे। निषाद समाज उक्त फल को प्राप्त करके जिस क्षेत्र में वह फल नहीं होता है और जो फल उस क्षेत्र में नहीं होता है से अदला बदली करके उक्त के एवज उस क्षेत्र में उत्पन्न न होने वाले फलों की भी उपलब्धता करायेंगे।

(8)एक प्लाट में कुछ हिस्सों में क्षेत्रीय औषधीय कृषि भी करेंगे जिसमें से अपने उपयोग के लिए पर्याप्त उपज अपने पास रखकर शेष समाज को प्रदान कर देंगे।निषाद समाज उक्त औषधीय कृषि उत्पाद को प्राप्त करके दूसरे क्षेत्र के उत्पाद से अदला बदली करेंगे और उक्त परिवार को उपलब्ध करायेंगे।

(9) उक्त परिवार को प्रतिबंध होगा कि वह दम्पत्ति उक्त प्लाट को न तो छोटा करेंगे और न बढ़ा सकेंगे अर्थात् उक्त दम्पत्ति अपने पीछे एक ही दम्पत्ति छोड़ेंगे अर्थात दो ही सन्तान उत्पत्ति करेंगे। इस प्रकार जनसंख्या नियंत्रण में सामिल हर व्यक्ति होगा।

(10) उक्त प्लाट मय परिवार ट्रांसफर किया जा सकेगा। जहां कोई किसी अन्य स्थान पर मनोनीत या चयनित किया जाता है तब उसके कार्यस्थल के समीप के गांव में के परिवार के साथ ट्रांसफर किया जायेगा।

(11) जहाँ ऐसे 25 प्लाट की भूमि अपने समाज के लोगों की हो तब ऐसे भूमि पर निवासित परिवारों को ऐसे व्यवस्थित होने के लिए व्यवस्था प्रदान किया जायेगा और व्यवस्थित कराया जायेगा।

(12) ऐसे व्यवस्थित कराने के क्रम में ऐसा भूमि चिन्हित करके नाप जोख करके सबसे पहले मध्य के प्लाट वार्ड मुख्यालय में 18×18 के 25 कमरों का दो मंजिला कार्यालय जिसमें नीचे 16 कमरे तथा ऊपर केवल मध्य के 9 कमरे कुल 25 कमरों की व्यवस्था की जायेगी जिसमें सौचालय, स्नानागार, रसोईं और छोटा स्टोर रूम हर कमरों में हो की व्यवस्था किया जायेगा। जिसे पूर्ण करके अन्य परिवारों को उक्त कमरों में शिफ्ट करके तब उक्त 24 परिवारों के प्लाट की व्यवस्था किया जायेगा और कम्प्लीट होने पर उन्हें अपने प्लाट में शिफ्ट करा दिया जायेगा।

41. **निषाद परिवार एवं सदस्यता अनुभाग (द्वितीय अनुभाग)** :- "निषाद समाज" अपने सदस्यों के देखरेख एवं परिवार के सदस्यों के पंजीकरण के लिए परिवार एवं सदस्यता अनुभाग की व्यवस्था रखेगा। परिवार एवं सदस्यता अनुभाग की अपनी मुद्रा होगी और एक दम्पत्ति परिवार एवं सदस्यता अनुभाग के कर्मचारी के रूप में चयनित किये जायेंगे। परिवार और सदस्ता पंजिका की देखरेख एवं सदस्यों को दर्ज करने और निष्कासित करने का अंकन करेंगे। सदस्यों के विवाह योग्य होने पर दूसरे क्षेत्र से सम्पर्क करके योग्य जोड़ों का मिलान करेंगे और शासन समिति को जोड़ों का विवाह कराने की संस्तुति भेजेंगे। विवाह में किसी भी प्रकार के विभेद की स्थिति को भी देखने और निस्तारण कराने का कार्य करेंगे।

42. **निषाद समाज कर्तव्य, अधिकार, दायित्व, व्यक्ति एवं व्यक्तित्व निर्धारण अनुभाग (तृतीय अनुभाग)** :- "निषाद समाज" अपने सदस्यों के कर्तव्य, अधिकार, दायित्व, व्यक्ति एवं व्यक्तित्व का निर्धारण करने के लिए और सदस्यों द्वारा उसका निर्वाह कराने के लिए अपना एक कर्तव्य, अधिकार, दायित्व, व्यक्ति एवं व्यक्तित्व निर्धारण अनुभाग की व्यवस्था रखेंगे। अनुभाग की अपनी मुद्रा होगी और एक दम्पत्ति अनुभाग के कर्मचारी के रूप में चयनित किये जायेंगे। जो अपने स्तर के लोगों में किसका क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है तथा क्या दायित्व है का निर्धारण करेंगे तथा अपने सदस्यों के व्यक्तित्व का निर्धारण करेंगे।

43. **निषाद समाज मानक एवं निश्चितता अनुभाग (चतुर्थ अनुभाग)** :- "निषाद समाज" हर एक तथ्यों के यूनीक नाम एवं निश्चितता के लिए मानक एवं निश्चितता अनुभाग की व्यवस्था रखेगा जो मानक एवं निश्चितता पंजिका रखेंगे और किसी भी तथ्य एवं सिद्धान्त का मानक एवं निश्चितता निर्धारित करेंगे। जिसका अपना एक कार्यालय और मुद्रा होगा और अनुभाग में दो कर्मचारी होंगे जो एक दूसरे का सहयोग करते हुए निषाद समाज द्वारा निर्धारित और तय किये गये सिद्धान्तों का मानक एवं निश्चितता पंजिका में दर्ज करेंगे और एक साथ मिलकर करेंगे।

44. निषाद समाज न्यायिक अनुभाग (पाँचवा अनुभाग) :- "निषाद समाज" अपने सदस्यों के कर्तव्यों के अनुपालन, अधिकारों के संरक्षण एवं दायित्वों का निर्वहन कराने के लिए न्यायिक अनुभाग की व्यवस्था रखेगा जिसका अपना एक कार्यालय और मुद्रा होगा और अनुभाग में पाँच अधिवक्ता होंगे जिसमें से एक सीनियर अध्यक्ष उनसे दो जूनियर पक्ष और उनसे जूनियर दो जूनियर विपक्ष रहते हुए उचित तर्क और तथ्य के साथ तर्क वितर्क करते हुए न्याय कार्य एक साथ मिलकर करेंगे।

45. अनुपालन एवं दाण्डिक अनुभाग (छठाँ अनुभाग) :- "निषाद समाज" न्यायिक अनुभाग के आदेश, निर्देश एवं निर्णयों का अनुपालन कराने के लिए अनुपालन एवं दाण्डिक अनुभाग की व्यवस्था रखेंगे जिसका अपना एक कार्यालय और मुद्रा होगा और अनुभाग में पाँच कमान्डर होंगे तथा उनके सानिध्य में रक्षा सेवा का उम्र लम्बाई चौड़ाई रखने वाले लड़कों लड़कियों को रखेंगे और रक्षा सेवा का शिक्षण प्रशिक्षण देते हुए हमेशा रक्षा सेवा में के पदों पर के आवेदनों की प्रतियोगिताओं में बैठायेंगे और समाज का कार्य भी प्रशिक्षण प्रैक्टिकल के रूप में कराते रहेंगे तथा प्रतिदिन अपने स्तर पर निषाद बेला में कार्यशाला का आयोजन करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। जिसके सम्बन्ध में निषाद समाज पूरी व्यवस्था प्रदान करेगा।

46. अन्वेषण अनुभाग (सातवाँ अनुभाग) :- "निषाद समाज" अपने सदस्यों के आवेदनों एवं प्रतिवेदनों के तथ्यों के आधार आदि के अन्वेषण के लिए अन्वेषण अनुभाग की व्यवस्था रखेगा जिसका अपना एक कार्यालय और मुद्रा होगा और अनुभाग में दो कर्मचारी होंगे जो एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने स्तर के आवेदनों प्रतिवेदनों के तथ्यों का अन्वेषण एक साथ मिलकर करेंगे।

47. जाँच अनुभाग(आठवाँ अनुभाग) :- "निषाद समाज" अपने अन्वेषकों के अन्वेषणों की उपयुक्तता की एवं सक्रियता के लिए जाँच अनुभाग की व्यवस्था रखेगा जिसका अपना एक कार्यालय और मुद्रा होगा और अनुभाग में यथा आवश्यक कर्मचारी होंगे जो एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने स्तर के अन्वेषण अनुभाग के अन्वेषणों की जाँच करेंगे कि उपयुक्त हैं या नहीं है कुछ छूटा तो नहीं है आवश्यक तथ्यों का अन्वेषण किया गया है या नहीं। जाँच अनुभाग को ऐसा प्रतीत होता है या अवगत कराया जाता है कि उक्त तथ्य को छोड़ा गया है या उक्त कथन की सत्यता के लिए ऐसे तथ्य का अन्वेषण आवश्यक है तो अन्वेषण अनुभाग को और अन्वेषण करने का आदेश निर्देश कर सकेंगे और सही होने पर न्यायिक अनुभाग को विचारणार्थ प्रेषित कर सकेंगे।

48. शिक्षा अनुभाग (नवाँ अनुभाग) :- "निषाद समाज" अपने सदस्यों के शिक्षा के लिए शिक्षा अनुभाग की व्यवस्था रखेगा जिसका अपना एक कार्यालय और मुहर होगा और अनुभाग में यथा आवश्यक कर्मचारी होंगे जो एक दूसरे का सहयोग करते हुए समाज के सदस्यों के शिक्षा की व्यवस्था देखेंगे और निषाद समाज के हर सदस्य को स्नातक तक अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करायेंगे। स्नातकोंपरान्त बालकों के रुचि और लगन को देखते हुए स्नातकोत्तर और अन्य उच्चस्थ शिक्षा व्यवस्था करेंगे। साथ ही यथा आवश्यक विद्यालय महाविद्यालय अध्ययन केन्द्र की भी व्यव्सथा करेंगे और देखेंगे, बच्चों के शिक्षा के लिए दान अनुदान की जाँच और अनुशंसा करेंगे और शासन समिति से उक्त अनुशंसा अनुसार धन उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे।

49. स्वास्थ्य अनुभाग (दशम अनुभाग) :- "निषाद समाज" अपने सदस्यों के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए स्वास्थ्य अनुभाग की व्यवस्था रखेंगे जिसका अपना एक कार्यालय और मुहर होगा और अनुभाग में यथा आवश्यक कर्मचारी होंगे जो एक दूसरे का सहयोग करते हुए समाज के सदस्यों के स्वास्थ्य की

व्यवस्था देखेंगे और निषाद समाज के लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति आवश्यक टीके और प्रीकासन दवाओं का वितरण तथा आवश्यक दवा इलाज की व्यवस्था करायेगें तथा जरूरत के अनुसार हास्पीटल, लैब, लोवोटरी रिसर्च सेंटर आदि स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल व्यवस्था और उपकरण की व्यवस्था करेंगे और नित अपडेट रखेंगे तथा आवश्यक स्वास्थ्य दान अनुदान की अनुशंसा करेंगे और अनुमति होने पर लाभार्थी को उपलब्ध करायेंगे।

50. **वस्त्र एवं कपड़ा अनुभाग (ग्यारहवाँ अनुभाग)** :- "निषाद समाज" अपने सदस्यों के वस्त्र की व्यवस्था के लिए वस्त्र एवं कपड़ा अनुभाग की व्यवस्था रखेंगे जिसका अपना एक कार्यालय और मुहर होगा और अनुभाग में पाँच महिला कर्मचारी होंगी जो एक दूसरे का सहयोग करते हुए समाज के सदस्यों के वस्त्र एवं कपड़े की व्यवस्था देखेंगी और ऐसी समुचित व्यवस्था रखेंगी कि निषाद समाज के किसी भी व्यक्ति को वस्त्र एवं कपड़ा की कोई समस्या न हो और किसी भी सदस्य के आवेदन पर उनकी वस्त्र एवं कपड़े की व्यवस्था प्रदान करेंगी, आवश्यकता अनुरूप टेक्सटाइल. सिलाई कढ़ाई, बुटीक, वस्त्र निर्माण आदि व्यवसाय की अनुशंसा, व्यवस्था और देख रेख करेंगी। बच्चियों को सिलाई मशीन, अन्य आवश्यक सुविधा की भी अनुशंसा कर सकेंगी।

51. **वस्तु एवं संसाधन अनुभाग (बारहवाँ अनुभाग)** :- "निषाद समाज" अपने सदस्यों के जीवन निर्वाह के आवश्यक वस्तुओं एवं संसाधनों की व्यवस्था के लिए वस्तु एवं संसाधन अनुभाग की व्यवस्था रखेंगे जिसका अपना एक कार्यालय और मुहर होगा और अनुभाग में यथा आवश्यक कर्मचारी होंगे जो समाज के सदस्यों के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तु एवं संसाधन की व्यवस्था देखेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि निषाद समाज के किसी भी परिवार के पास जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तु और संसाधन की उपलब्धता हो।

52. **यातायात, परिवहन अनुभाग (त्रयोदश अनुभाग)** :- "निषाद समाज" अपने सदस्यों के यातायात एवं परिवहन तथा यातायात एवं परिवहन से व्यवसाय के लिए यातायात एवं परिवहन अनुभाग की व्यवस्था रखेंगे जिसका अपना एक कार्यालय और मुहर होगा और अनुभाग में यथा आवश्यक कर्मचारी होंगे जो समाज के सदस्यों के जीवन निर्वाह के लिए यातायात और परिवहन पर आश्रित व्यवसाय की व्यवस्था देखेंगे और हर किसी के आवश्यक यातायात एव परिवहन की समस्याओं का निराकरण एवं उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

53. **कृषि, बागवानी, फल, सब्जियाँ एवं बीज संरक्षण अनुभाग (चौदहवाँ अनुभाग)** :- "निषाद समाज" अपने सदस्यों के खाद्यान्न व्यवस्था के लिए कृषि, बागवानी, फल, सब्जियाँ एवं बीज संरक्षण अनुभाग की व्यवस्था रखेगा जिसका अपना एक कार्यालय और मुहर होगा और अनुभाग में यथा आवश्यक कर्मचारी होंगे जो समाज के सदस्यों के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक खाद्यान्य, सब्जी, फल एवं बीज की उपलब्धता उससे सम्बन्धित व्यवसाय और आवश्यकता और कमी की व्यवस्था देखेंगे हर प्रकार की उक्त सम्बन्धी समस्या का निराकरण करेंगे और हर आवश्यक व्यवस्था प्रदान करेंगे।

54. **उद्योग अनुभाग (पन्द्रहवाँ अनुभाग)** :- "निषाद समाज" अपने सदस्यों के लिए उद्योग की व्यवस्था के लिए उद्योग अनुभाग की व्यवस्था रखेंगे जिसका अपना एक कार्यालय और मुहर होगा और अनुभाग में यथा आवश्यक कर्मचारी होंगे जो समाज के सदस्यों के लिए उद्योग की स्थापना उन्नयन की व्यवस्था देखेंगे तथा निषाद समाज के उद्योगों और व्यवसाय की देखरेख संरक्षण विकास और उन्नयन करेंगे तथा उक्त सम्बन्धी हर व्यवस्था और सुविधा प्रदान करेंगे।

55. **व्यापार विपणन अनुभाग (सोलहवाँ अनुभाग)** :- "निषाद समाज" अपने लोगों के उद्योंगो से हुए उत्पादों के व्यापार विपणन के लिए व्यापार विपणन अनुभाग की व्यवस्था रखेंगे जिसका अपना एक कार्यालय और मुहर होगा और अनुभाग में यथा आवश्यक कर्मचारी होंगे जो समाज के सदस्यों के उद्योंगो और व्यवसाय के व्यापार और विपणन की व्यवस्था देखेंगे ।

56. **विज्ञान एवं आविष्कार अनुभाग (सत्रहवाँ अनुभाग)** :- "निषाद समाज" अपने समाज के विकास के लिए विज्ञान एवं आविष्कार अनुभाग की व्यवस्था रखेंगे जिसका अपना एक कार्यालय और मुहर होगा और अनुभाग में यथा आवश्यक कर्मचारी होंगे जो समाज के युवाओं और प्रतिभाओं के विकास के लिए प्रयोग की आवश्यक संसाधन की व्यवस्था देखेंगे और उनका चयन करके उन्हें व्यवस्था उपलब्ध करायेंगे।

57. **पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, वन्यजीव, पक्षियों एवं जलीय जीव संरक्षण अनुभाग (अट्ठारहवाँ अनुभाग)** :- "निषाद समाज" अपने सदस्यों के पशुओं के विकास एवं दूध की उपलब्धता, मत्स्य उत्पादन, वन्यजीव, पक्षियों एवं जलीय जीवों के लिए अनुभाग की व्यवस्था रखेंगे जिसका अपना एक कार्यालय और मुहर होगा और अनुभाग में यथा आवश्यक कर्मचारी होंगे जो समाज के सदस्यों के उपरोक्त कार्य के लिए आवश्यक वस्तु एवं संसाधन की व्यवस्था देखेंगे तथा शिक्षण प्रशिक्षण अनुसंधान उपलब्ध करायेंगे, उक्त से सम्बन्धित आवेदन व्यवसाय की अनुसंसा, व्यवस्था एवं अधीक्षण करेंगे।

58. **खनिज एवं प्राकृतिक व्यवस्था अनुभाग (उन्नीसवाँ अनुभाग)** :- "निषाद समाज" प्राकृतिक सुंदरता बनाये रखने एवं उससे प्राप्त होने वाले वस्तुओं की व्यवस्था के लिए खनिज एवं प्राकृतिक व्यवस्था अनुभाग की व्यवस्था रखेगा। जिसका अपना कार्यालय और अपना मुहर होगा और तीन कर्मचारी होंगे। जो प्राकृतिक सुन्दरता को बनाये रखने के आवश्यक उपाय साधन संसाधन की माँग सुविधा उपलब्धता, आवेदन जाँच अनुमति अनुशंसा और स्वीकृति करेंगे।

59. **सूचना एवं संचार अनुभाग (बीसवाँ अनुभाग)** :- "निषाद समाज" अपने सदस्यों के आचार विचार आदि के आदान प्रदान एवं उनके व्यवस्था के लिए सूचना एवं संचार अनुभाग की व्यवस्था रखेगा। जिसका अपना कार्यालय और अपना मुहर होगा और तीन कर्मचारी होंगे जो समाज के सूचना का आदान प्रदान करेंगे।

60. **कला, खेल, मनोरंजन एवं संस्कृति अनुभाग (इक्कीसवाँ अनुभाग)** :- "निषाद समाज" समाज में कला और कलाकारों के साथ खेल एवं मनोरंजन की व्यवस्था और संस्कृति के संरक्षण के लिए कला, खेल, मनोरंजन एवं संस्कृति अनुभाग की व्यवस्था रखेगा। जिसका अपना कार्यालय और अपना मुहर होगा और तीन कर्मचारी होंगे जो कलाकारों के विकास तथा खेल और संस्कृति के संरक्षण और नियन्त्रण का कार्य करेंगे।

61. **मतदाता मंच एवं संरक्षण अनुभाग (बाइसवाँ अनुभाग)** :- "निषाद समाज" अपने सदस्यों के लिए एक मतदाता मंच एवं संरक्षण अनुभाग की व्यवस्था रखेगा। जो शासन, प्रशासन से मुक्त सदस्यों का प्राइवेट मंच होगा जिसका अपना कार्यालय और अपना मुहर होगा और तीन कर्मचारी होंगे।

62. **संरक्षण एवं चयन अनुभाग (तेइसवाँ अनुभाग)** :- "निषाद समाज" अपने सदस्यों के देखरेख के लिए एक संरक्षण एवं चयन अनुभाग की भी व्यवस्था रखेंगे जो पूरी व्यवस्था पर पैनी नजर रखेंगे और

संगठन को भंग एवं चयन की व्यवस्था देखेंगे जिसका अपना कार्यालय और अपना मुहर होगा और तीन कर्मचारी होंगे।

63. विपक्ष अनुभाग (चौबीसवाँ अनुभाग) :- "निषाद समाज" के हर एक तथ्य पर तर्किक टिप्पड़ियों के लिए विपक्ष अनुभाग की व्यवस्था रखेगा। जिसका अपना कार्यालय और अपना मुहर होगा और तीन कर्मचारी होंगे जो निषाद के कार्य और गतिविधियों पर विपक्षी तर्क रखेंगे। समाज के किसी भी सदस्य के किसी आवेदन माँग पर ऊपर की समितियां यदि कार्य नहीं करती हैं और उक्त व्यक्ति को राहत नहीं मिलता है तो विपक्ष अनुभाग में अपना आवेदन रखेंगे और विपक्ष अनुभाग ऐसे आवेदन पर अपना तर्क तथ्य प्रतुत करके अन्य इकाइयों से करा सकेगा और न करने के कारण की जाँच कर सकेगा।

64. प्रशासन अनुभाग में चयन और योग्यता :- किसी भी पद पर चयन की जिम्मेदारी संरक्षण एवं चयन अनुभाग की होगी। किसी भी प्रशासन में चयन के लिए उस विषय में सबसे अधिक योग्यता धारी को वरीयता दी जायेगी। कोशिश यह किया जायेगा कि सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य कर चुके रिटायर्ड कर्मचारी हों। रिटायर्ड कर्मचारी के चयन में रिटायर्ड कर्मचारी की अपनी स्वीकृति के आधार पर उनके स्वेच्छा से चयन किया जायेगा। निषाद समाज की शासन या कोई प्रशासन अनुभाग किसी रिटायर्ड कर्मचारी को ससम्मान प्रस्तावित कर सकेंगे और चयन अनुभाग ऐसे प्रस्ताव पर उन्हें ससम्मान उक्त पद को देखने और उक्त पद पर आसीन होकर समाज सेवा करने का आग्रह कर सकेगी।

65. प्रशासन अनुभाग में सेवकों को यथोचित मानदेय का दिया जाना :- निषाद समाज कोशिस करेगा कि अनुभाग में पदों पर सेवा करने वालों को आवश्यक जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम जीवन निर्वाह भत्ता अवश्य मिले। जिसकी अनुशंसा अनुभाग की माँग पर शासन समिति द्वारा किया जायेगा और निषाद समाज के संचित निधि पर भारित होगा।

अध्याय 7
निषाद का अधिकार, कर्तव्य, दायित्व और निषेध

66. निषाद समाज के प्रत्येक सदस्य का अधिकार

(1). प्रत्येक निषाद को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार होगा।

(2). प्रत्येक निषाद को जीवनोपयोगी आवश्यक समस्त साधन संसाधन इत्यादि निषाद समाज से प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(3). प्रत्येक निषाद को निषाद समाज के समक्ष अपने राय विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पूर्वक रखने का अधिकार होगा।

(4). प्रत्येक निषाद को निषाद समाज के समक्ष अपने किसी भी समस्या को रखने और उसका समाधान प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(5). प्रत्येक निषाद को सामाजिक राजनैतिक एवं शैक्षणिक सुविधा प्राप्त करना पूर्ण अधिकार होगा।

(6). प्रत्येक निषाद को स्वच्छ, सुन्दर, सुरम्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित जीवन जीने का अधिकार होगा।

(7). प्रत्येक निषाद को अन्य विधियों में दिये गये समस्त अधिकारों को जहाँ तक वे प्रकृति और समाज का ह्रास न करती हों को प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

67. निषाद का कर्तव्य

(1). प्रत्येक निषाद का कर्तव्य होगा कि वह अपने जीवन के प्राकृतिक लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने का कर्तव्य होगा।

(2). प्रत्येक निषाद को अपने जीवन में निषाद शब्द की सार्थकता बनाये रखने का कर्तव्य होगा।

(3). प्रत्येक निषाद का कर्तव्य होगा कि निषाद पर्सनल लॉ के प्रतिमानों, लक्ष्य, उद्देश्य और प्रतीकों का सम्मान एवं सम्वर्धन करें।

(4). प्रत्येक निषाद का कर्तव्य होगा कि प्रकृति का संरक्षण करें, समाज को स्वच्छ, सुन्दर, सुरम्य, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित करें।

(5). प्रत्येक निषाद का कर्तव्य होगा कि वह सामाजिक गतिविधियों में जब कभी भी आवश्यकता हो समाज के आह्वान्ह पर समाज में वढ़ चढ़ कर अपनी सहभागिता देंगे।

68. निषाद का दायित्व

प्रत्येक निषाद का दायित्व होगा कि वह अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सजग रहेंगे तथा समाज के हर व्यक्ति के सामाजिक दायित्व को ध्यान दे और किसी के द्वारा किसी के साथ अपने कर्तव्य को नहीं निभाया जा रहा हो और अधिकारों का हनन किया जा रहा हो तो समाज को अवगत करायें।

69. निषाद के लिए निषेध

(1). कोई भी निषाद ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे कि निषाद शब्द की सार्थकता को ठेस लगे और उसपर प्रश्न उठे, निषाद निर्विकार के स्थान पर विकार से भरे अथवा उससे किसी प्रकार का समाज में अन्धकार फैले अर्थात कोई निषाद घूस, घपला, बेइमानी, जालसाजी, छल, कपट, झूठ नहीं करेंगे।

(2). कोई निषाद अनैतिक कार्य, गतिविधि, साधन, संसाधन से धन, जन साधन और संसाधन का संग्रह नहीं करेंगे।

(3). कोई भी निषाद अपनी या किसी की किसी भी समस्या के प्रति चुप नहीं रहेंगे।

(4). कोई भी निषाद, निषाद कार्यकारणी के समक्ष कोई कार्यवाही जुबानी या अलिखित नहीं करेंगे तथा निषाद समाज के केन्द्रीय कार्यकारणी को एक प्रति अवश्य भेजेंगे।

(5). कोई भी निषाद स्वच्छन्द नहीं रहेंगे।

70. निषाद सिद्धान्त

(1). **निषाद समस्या न बनें** :- एक सिद्धान्त है कि यदि हम समस्या के समाधान नहीं हैं तो हम ही एक समस्या हैं इसलिए समस्त निषाद को यह ध्यान रखना है कि निषाद कहीं समस्या न बनें।

(2). **शक्ति का दुरुपयोग अपराध है** :- समस्त निषाद को इस बात का ध्यान रखना है कि शक्ति का दुरूपयोग अपराध है और उनसे शक्ति का दुरूपयोग न हो।

(3). **त्रिस्तरीय कार्यवाही** :- प्रत्येक कार्यवाही लिखित रूप में और तीन प्रतियों में किया जाना आवश्यक है जिसमें से एक प्रति कर्ता के पास एक प्रति कारक के पास और एक प्रति निषाद समाज के सर्वोच कार्यकारणी को प्रेसित किया जायेगा।

(4). **प्राकृतिक दृष्टि** :- हम प्राकृतिक प्राणी हैं प्रकृति द्वारा बनाये गये समस्त प्राणियों में केवल और केवल विवेकशील, विचारवान एवं भावनात्मक होने की वजह से सर्वोत्कृष्ट हैं और इस सर्वोत्कृष्टता को बनाये रखने के लिए प्राकृतिक दृष्टि अपनायें।

अध्याय 8
प्रकीर्ण

71. **निषाद समाज, कार्य संचालन अंग एवं ढाँचा** – निषाद समाज जल, जंगल, पहाड़, नदी घाटी वासियों एवं प्रकृति पर आश्रित समुदाय, आदिवासी लोगों की विधिक मंच है जो अपने इस निषाद पर्सनल लॉ से संगठित और संचालित होगी, जिसका कार्य संचालन अंग इस विधि के प्रारम्भिक काल में अथवा इस विधि द्वारा गठित शासन समिति के विश्रांति काल में उस स्तर के विस्तारक होंगे अन्यथा निषाद समाज शासन समिति होगी। कार्य संचालन की सुविधा के लिए स्थानीय इकाई, गाँव, विकासखण्ड या नगर, जिला, प्रदेश या राज्य, देश या राष्ट्रीय एवं विश्व स्तर पर अपने शासन समिति की व्यवस्था रखेगी और इन स्तरों पर अन्य समितियाँ भी होंगी जो निषाद समाज की गतिविधियों को संचालित करेंगी तथा स्थानीय स्तर पर 12 परिवारों की स्वयं सहायता समूहों में से प्रथम परिवार को लेकर स्थानीय स्थाई शासन समिति होगा जिनके स्तर के इकाई के नाम एवं अध्यक्ष / सचिव को सम्बोधित पत्र व्यवहार किया जा सकेगा, साथ ही यदि उनकी प्रशासनिक समिति का चयन हो जाता है तो उस स्तर के कार्यालय को मुख्य प्रशासनिक के नाम से प्रेषित किया जा सकेगा।

72. **झंडा और यूनीक चिन्ह** – निषाद समाज का अपना एक यूनीक जिन्ह होगा जिसमें चौबीस लौ वाले सूर्य के गोले में पृथ्वी और स्वास्तिक का चिन्ह होगा और स्वास्तिक के चारो कोटरों में क्रमशः ऊँ, तीर धनुष, मछली और नाव बना होगा जो स्वर्ण रंग में सफेद रंग के पताका पर छपित होगा।

शासन समिति के पदाधिकारियों का चयन तथा पदों के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व

73. **निषाद समाज शासन समिति के पदाधिकारी** – निषाद पर्सनल लॉ के अध्याय 4 पैरा 26 के अनुसार शासन समिति में संरक्षक, अध्यक्ष, प्रवंधक, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, आडीटर, सदस्य शासन समिति, 8 पदाधिकारी होंगे।

74. **पदों के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व –**

A. **संरक्षक** – समाज का संरक्षण करें। सामाजिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार के विधिक अनुपालन से मुखर व्यक्ति को अनुशासन का पाठ पढ़ायें तथा अनुशासन हीनता को रोकने के हर कार्य करें।

B. **अध्यक्ष-** अपने स्तर के इकाई के बैठकों की अध्यक्षता करें। विधि अनुसार समाज कार्य का संचालन करायें।

C. **प्रबन्धक-** अपने स्तर के इकाई के गतिविधियों में लगने वाले साधन संधान की प्रबंध करें।

D. **कोषाध्यक्ष-** अपने स्तर के इकाई के कोष का संचालन करें। आय व्यय का हिसाब रखें। आडीटर को हर आय व्यय से अवगत करायें व अपडेट रखें।

E. **उपाध्यक्ष-** अपने स्तर का प्रतिनिधित्व करें। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य को प्रभारी के रूप में निभायें।

F. **सचिव-** अपने स्तर के इकाई की विलेखों का निर्माण और संरक्षण करें तथा हर प्रकार के पंजीकरण को उसके निश्चित पंजिका में दर्ज करें और अध्यतन रखें।

G. **आडीटर-** अपने स्तर के इकाई के आय व्यय का आडिट करें।

H. **सदस्य शासन समिति-** पदाधिकारियों के साथ पैनी नजर बनाये रखें तथा सहयोगी के रूप में कार्य करते हुए किसी भी पदाधिकारी के द्वारा दिये गये कार्यों कों उनके निर्देश अनुसार करें।

75. पदाधिकारियों का चयन – निषाद पर्सनल लॉ अध्याय4 से बल प्राप्त करने वाली पैरा 27 में गठित होने वाली शासन समिति के पदाधिकारियों का चयन प्रारम्भिक कार्यकारणी, विस्तारक/संचालक या संरक्षण एवं चयन अनुभाग के द्वारा पैरा 27 के अनुसार पंचपरीक्षण न्यागमन पद्धति द्वारा किया जायेगा।

नोट- पदाधिकारियों के चयन के लिए जिस स्तर के पदाधिकारियों का चयन किया जाना है उस स्तर के विस्तारक/संचालक या संरक्षण एवं चयन अनुभाग को उस स्तर के निम्न स्तरों तथा पैरा 27 के नोट के अनुसार निषाद समाज में आनेवाली उस स्तर में निवासित निषाद समाज की जाति, उपजाति, कुरी, कौम, समुदाय या परिवार जिस भी नाम से उनकी एक समूह जानी, पहचानी व पुकारी जाती हो की समुचित जानकारी विस्तार पंजिका 3 व 4 से मिलान और न्यागमन का विशेष ध्यान रखा जायेगा जबतक कि निषाद समाज की समस्त विभिन्न नाम एक नाम में समाहित नहीं हो जाते हैं तब तक।

76. पंचपरीक्षण न्यागमन पद्धति –

A. पंच परीक्षण न्यागमन पद्धति से तात्पर्य पांच प्रकार का परीक्षण है तथा न्यागमन से तात्पर्य क्षेत्रों एवं समूहों का क्रमागत रूप से स्वतः आना है।

B. पाँच प्रकार का परीक्षण

(1). व्यक्ति एवं व्यक्तित्व

शिक्षा योग्यता, लेखन, वाचन, तर्क

(2). सामाजिक सहयोग

आस पास पास पड़ौस के साथ किये गये कार्य का हलफनामा

(3). पद की गरिमा

जिसपद का आवेदन किया जाना है उस पद की गरिमा क्या है पर लेख

(4). चुनौतियां,कार्य और गतिविधियां

जिस क्षेत्र के लिए आवेदन किया जा रहा है उसका क्षेत्र विस्तार कहाँ से कहाँ तक है उस क्षेत्र की क्या क्या समस्यायें है, उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए क्या क्या कार्य किये जाने हैं और उन कार्यों को कैसे करेंगे, जिसमें उनपर अनुमानित लागत, धन कैसे उपलब्ध करायेंगे आदि पर लेख।

(5). मतदान

C. पद पर चयनित होने के लिए आवेदन के साथ उपखण्ड B. के खण्ड (1) के अनुसार व्यक्ति का अपने परिचय से सम्बन्धित बायोडाटा देना होगा, उपखण्ड B. के खण्ड (2) के अनुसार आस पास पास पड़ौस में गतिविधियां क्या रही हैं का लिखित हलफनामा देना होग, उपखण्ड B. के खण्ड (3) के अनुसार जिस पद पर चयन हेतु आवेदन किया जाना है उस पद की गरिमा क्या है पर एक लेख लिखकर देना होगा, उपखण्ड B. के खण्ड (4) के अनुसार जिसपद पर चयन होना चाहते हैं उस पद का क्षेत्र विस्तार कहाँ से कहाँ तक है उस क्षेत्र की क्या क्या समस्यायें है, उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए क्या क्या कार्य किये जाने हैं और उन कार्यों को कैसे करेंगे, जिसमें उनपर अनुमानित लागत, धन कैसे उपलब्ध करायेंगे आदि पर लेख तथा उपखण्ड B. के खण्ड (5) के अनुसार उस क्षेत्र के

सदस्यों की सूची देना होगा जिनके मतदान से चयन किया जायेगा। प्रत्येक परीक्षण का 20 अंक होगा जिसमें सबसे अधिक अंक धारण करने वाले को पदाधिकार प्रदान किया जायेगा।

D. समस्त पदो पर न्यागमन क्षेत्र और समूह का होगा, पद का न्यागमन केवल स्वयं सहायता समूह एवं स्थानीय कार्यकारणी में होगी।

77. **चयन के लिए सूचना और समय** – चयन के लिए सूचना यह माना जायेगा कि शासन समिति के कार्यकाल के दो माह शेष रहने का दिनांक होगा। उक्त दिनांक पर स्वयं उस पद के लिए आवेदन इच्छुक व्यक्तियों द्वारा उस स्तर के विस्तारक/संचालक या संरक्षण एवं यचन अनुभाग के समक्ष किया जायेगा।

नोट – प्रारम्भिक काल में प्रारम्भिक कार्यकारणी द्वारा उस क्षेत्र के सभी स्तरों के सभी स्थानीय इकाई का निर्माण हो जाने की सूचना प्रकाशन के एक माह बाद का तिथि होगा।

78. **निषाद समाज शासन समिति की जिम्मेदारी होगी - कि**

1. समाज के किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक समस्या न हो।
2. हर किसी के पास जीवन जीने के लिए आवश्यक भूमि, साधन संसाधन हो।
3. समय से विवाह योग्य जोड़ों का मिलान कराते हुए उनके गार्जियन से बात करके शीघ्रातिशीघ्र विवाह कराते हुए उनके जीवन की सुचारूता बनायें।
4. हर किसी को स्नातक तक आवश्यक रूप से शिक्षा प्राप्त हो।
5. हर किसी के आवश्यक शिक्षा ग्रहण उपरान्त यथाशीघ्र प्रशासनिक सेवा में, शासन के पद पर, उद्योगपति, व्यवसायी, मैकेनिक, कुशल कारीगर, कृषक जैसी भी उनकी लगन चाह और क्षमता हो के आधार पर आसीन करायें।
6. आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें तथा समय समय पर प्रीकासन टीका या दवाइयों का सामूहिक रूप से उपयोग करायें।
7. हर प्रकार से विवाद मुक्त व्यवस्था प्रदान करें।
8. समितियों की सुचारुता बनाये रखें।

79. **शासन समिति को अपने उद्देश्य के आधार पर कोष खुलवाने और उक्त उद्देश्य में उपयोग करने का अधिकार** – शासन समिति अपने किसी विशेष उद्देश्य के प्रति उक्त उद्देश्य के नाम से खाता खुलवा सकेगा और उक्त खाते की राशि का उपयोग उक्त उद्देश्य की पूर्ति में कर सकेगा।

80. **हर स्थानीय स्तर पर स्मृति अंश दान कोष का निर्माण और किसी मृतक को पीतांबर देने और तेरहवीं करने की रोक और पीतांबर व तेरहवीं की राशि स्मृति अंश दान कोष में जमा किया जाना तथा उक्त राशि को स्मृति प्रतियोगिता में उपयोग में लाया जाना-** निषाद समाज हर स्थानीय स्तर पर स्मृति अंशदान कोष स्थानीय इकाई द्वारा खुलवाई जायेगी और उक्त स्थानीय इकाई के किसी भी निषाद के देहान्त होने पर उनके नाम से उनके चाहने वाले लोगों द्वारा पीतांबर न देकर उक्त पीतांबर की राशि स्मृति अंश दान कोष में जमा किया जायेगा साथ ही किसी भी निषाद का तेरहवीं करने से मना किया जाता है तेरहवीं की राशि जो भी जो कोई खर्च करना चाहे मृतक के नाम से स्मृति अंश दान खाते में जमा कर सकेंगे। जिसका विवरण स्थानीय इकाई रखेगा तथा उक्त

राशि से उक्त मृतक के दाह संस्कार में उपयोग करेगा और शेष राशि का वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक जितना ब्याज आ रही हो के आधार पर उक्त व्यक्ति के नाम पर एफ डी लेकर उक्त ब्याज आने के आवर्त के समय पर उक्त व्यक्ति के नाम पर स्मृति प्रतियोगिता आयोजित करके उपयोग किया जायेगा तथा अन्य जो निर्धारित किया जाय में उपयोग किया जा सकेगा। कई लोगों का मिलाकर एक प्रतियोगिता भी किया जा सकेगा।

81. कठिनाइयों को दूर किया जाना तथा पर्सनल लॉ में संसोधन एवं परिवर्तन-

A. निषाद की संस्कृति और सभ्यता के विकास के लिए निषाद पर्सनल लॉ द्वारा समाज कार्य करने में जहाँ कोई परेशानियां आती हैं और निषाद पर्सनल लॉ उन कठिनाइयों को दूर करने में कम पड़ता है तो उक्त के सम्बन्ध में उक्त समस्या को जानने और उस समस्या से जूझने जानने समझने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि वह उक्त के सम्बन्ध में अपने स्थानीय इकाई को लिखित में अवगत करायेंगे।

B. ऐसे किसी भी आवेदन को प्राप्त करके शासन समिति उसे अपने स्तर पर चर्चा कराकरके चर्चा की कार्यवाही और आवेदन को अपने उच्चस्त कार्यकारणी को प्रेषित कर देंगे।

C. उच्चस्त शासन समिति ऐसी आवेदन पर चर्चा कराकरके जैसी नीति नियम बने उसे निषाद पर्सनल लॉ में सामिल करायेंगे और नई कार्यकारणी के आने के साथ उसका समायोजन और आवश्यक संसोधन किया जा सकेगा।

82. निषाद पर्सनल लॉ स्वीकृति प्रस्ताव- निषाद पर्सनल लॉ जो उपरोक्त रूप में बनाई गई है को स्वीकृत कराने और निषाद पर्सनल लॉ को शासन प्रशासन और सरकार से मान्य कराने के लिए निषाद समाज के लोगों की स्वीकृति लिया जाना आवश्यक और उचित समझा जा रहा है तथा यह आशा किया जाता है कि जल जंगल पहाड़ नदी घाटी के वासियों प्रकृति पर आश्रित समुदाय आदिवासी (निषाद समाज) के लोगों द्वारा इस निषाद पर्सनल लॉ के अनुसार अपनी स्थानीय से लेकर उच्चस्त शासन समितियों तथा अन्य इकाइयों की स्थापना शीघ्रातिशीघ्र कर लेंगे और हर स्तर के प्रस्तावक/संचालक जितनी जल्दी हो सकेगा अपने स्तर के सभी लोंगों से इस निषाद पर्सनल लॉ पर उनके स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे।

83. पर्सनल लॉ बनाये जाने और सरकार के समक्ष मान्यता हेतु रखे जाने के समय के सभी लोगों का संकल्प पत्र लिया जाना - जिसके लिए स्वीकृति संकल्प इस पर्सनल लॉ के अन्त में लिखा जा रहा है और हर स्थानीय प्रस्तावक से यह आशा रखा जायेगा कि वे अपने स्थानीय स्तर पर जल, जंगल, पहाड़, नदी घाटी वासियों, प्रकृति पर आश्रित समुदाय आदिवासी सभी परिवार तक इस निषाद पर्सनल लॉ के बनाये जाने और सरकार से मान्य कराये जाने के बीच जितने भी निषाद समाज के सदस्य हैं उनकी स्वीकृति के रूप में निम्न प्ररुप में उनका नाम दर्ज किया जाय और उनके नाम के सामने उनका हस्ताक्षर करायें और निषाद पर्सनल लॉ को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के समय संलग्न किया जाय।

क्र	नाम	माता/पति	पिता/अभि0	जन्मतिथि/आयु	दिनांक	हस्ताक्षर
1-						

84. निषाद पर्सनल लॉ स्वीकृत संकल्प (सामूहिक) – (हर स्थानीय स्तर पर लोगों को एकत्र करके निषाद पर्सनल लॉ स्वीकृति सभा का आयोजन करके सभी लोगों का हस्ताक्षर कराया जाय। स्वीकृति सभा के बाद घर घर जाकर भी कराया जा सकता है।) हम निषाद के स्थानीय इकाई ग्राम ..... नगर .....

जनपद ..... प्रदेश ..... भारत देश के इस सूची के लोग अपनी इस निषाद पर्सनल लॉ को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करने के पक्ष में अपने नाम विवरण के सामने अंकित तिथि में अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं

85. **निषाद पर्सनल लॉ स्वीकृत संकल्प (व्यक्तिगत)** – (जहाँ कोई अपने स्थानीय इकाई में सामूहिक संकल्प सभा में उपस्थित नहीं होता है व्यक्तिगत रूप से इस पैरा में संकल्प पत्र भर कर जमा कर सकता है जो पूरे भारत में के लोगों का विवरण लेने के बाद सरकार के समक्ष रखने के अवसर पर संलग्न कर रखा जायेगा।)

मैं नाम .....माता/पति का नाम .....

पिता / अभिभावक का नाम ..... जन्मतिथि .....

आवेदन करते समय आयु ..... योग्यता .....

व्यवसाय ..... कला ..... कौशल .....

पता परिवार क्र0 ..... ग्राम .....

नगर ..... जनपद .....

प्रदेश ..... भारत का निवासी अपनी इस निषाद पर्सनल लॉ को आज दिनांक ..... को स्थान ..... से अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करने के पक्ष में अपने नाम विवरण के सामने अंकित तिथि में अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए अपना हस्ताक्षर कर रहा हूँ।

86. **निषाद पर्सनल लॉ का लागू होना-** निषाद पर्सनल लॉ दिनांक 10 अगस्त 2025 दिन रविवार के अवसर से लागू माना जायेगा।

87. **आनलाइन विस्तार-**

(1) हर स्तर के विस्तारक अपने स्तर के विस्तार के लिए कोई एक दिन दिवस या दिनांक निर्धारित करके उसके आवली पर निश्चित समय पर उस स्तर की आनलाइन बैठक आयोजित करेंगे।

जैसे राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय विस्तार के लिए रविवार को प्रातः 10:15 बजे से आयोजन किया जा रहा है।

(2) आनलाइन बैठक की एक पंजिका बनाये रखेंगे। जिसके दाहिने पेज पर जिसमें चार कालम बनाते हुए क्रमशः क्रमांक, उपस्थिति समय, परिचय (नाम, पता, योग्यता, व्यवसाय अन्य विवरण) व जाने का समय दर्ज किया जायेगा।

(3) एक क्रमाक दो लाइन में रखा जायेगा ताकि उक्त व्यक्ति के द्वारा कहे गये वक्तव्यों का सार उसमें अंकित किया जा सके व अंकित किया जाय।

(4) बैठक में प्रथम उपस्थित आने वाले व्यक्ति का विवरण आगन्तुक सदस्य धन्यवाद व पंजीकृत सदस्यता प्रस्ताव प्रपत्र भरकर सदस्यता शुल्क भेजकर सदस्य बनने के प्रस्ताव के साथ उपस्थिति के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया जायेगा।

(5) दूसरे बैठक में उपस्थित आने पर अनुभाग की जानकारी दी जायेगी और उनको उनके व्यवसायिक एवं रुचिकर अनुभाग की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रस्तावित किया जायेगा।

(6) दूसरी बैठक की उपस्थिति के प्रस्ताव पर यदि किसी अनुभाग या किसी पद को स्वीकृति का विचार आता है और बैठक में उपस्थति बरकरार रखते हैं सदस्यता देकर उपस्थित आने वाले व्यक्ति प्रत्यक्ष और सदस्यता न देकर भी तीन उपस्थिति बनाने वाले सदस्य को अप्रत्यक्ष सदस्य पंजिका में पंजीकृत

किये जायेंगे। तो उक्त पद या अनुभाग के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पदाधिकारी या सदस्य जैसी भी स्थिति हो के रूप में प्रमाण पत्र प्रेषित किया जायेगा।

(7) प्रति बैठक मीटिंग के लिए 10रूपया प्रत्येक उपस्थित सदस्य से आनलाइन व्यवस्था शुल्क का आशा रखा जाता है बाध्यता नहीं है परन्तु मीटिंग की रिकार्डिंग यूट्यूब चैनल पर लोड कराने के प्रति प्रति 10 मिनट के क्लिप पर पचास रूपया दिया जाना आवश्यक रहेगा जो मीटिंग होस्ट या लेखाकार के अकाउंट अथवा निषाद समाज के खाते में भेजा जा सकेगा।

(8) आनलाइन बैठक के लिए किसी एक व्यक्ति को लेखाकार मनोनीत किया जायेगा जो मीटिंग में आने वाले सदस्यों का विवरण दर्ज करें और यथावश्यक प्रमाण पत्र व प्रस्ताव प्रेषित करें।

(9) आनलाइन बैठक में नियमित रूप से उपस्थित आनेवाले सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति को बैठक के लिए उस स्तर का संरक्षक मनोनीत किया जायेगा तथा संरक्षक के सानिध्य में मेटिंग होगी।

(10) मीटिंग में जुड़ने के लिए आस्क टू ज्वाइन से पुर्व माइक बन्द कर लेना होगा और बिना बुलाये माइक चालू रखने की मनहाई होगी। किसी अन्य आवश्यक बात के लिए हैण्ड रेज करेंगे। साथ ही तीसरी मीटिंग उपरान्त अपनी अप्रत्याक्ष या प्रत्यक्ष सदस्य संख्या का पता लगाकर उपस्थित होते ही चैट बाक्स में लिख दिया करेंगे ताकि उपस्थित होने की जानकारी स्पस्ट रहे।

(11) जो विषय या प्रस्ताव रखें जायं उनपर पहले से ही तैयारी करके रखें और कोशिस करें कि 10 मिनट से अधिक का समय न लगे। अपना लिखित राय भी पुर्व में रखा जा सकता है।

88. **पूरे भारत देश को कवर करने का कार्यक्रम** – निषाद समाज द्वारा वर्ष भर पूरे भारत के हर क्षेत्र को समाहित करते हुए भारत को कवर करने के लिए पूरे भारत के 12 स्थानों का चयन किया गया है जनवरी, गुजरात अहमदाबाद। फरवरी, छत्तीसगढ़ जगदलपुर। मार्च, उत्तर प्रदेश लखनऊ। अप्रैल, असम नागाँव। मई, हिमांचलप्रदेश मंडी। जून, तमिलनाडु मदुरै। जुलाई, झारखण्ड राँची। अगस्त, महाराष्ट्र पुणे। सितम्बर, राजस्थान अजमेर। अक्टूबर, मध्यप्रदेश जबलपुर। नबम्बर, आन्ध्र प्रदेश बेल्लोरी। दिशम्बर, बिहार पटना। माह के चतुर्थ सटरडे सण्डे को आयोजन करने का प्रस्ताव है।

89. **निषाद पर्सनल लॉ प्रकाशन हेतु शुभकामना संदेश हेतु आह्वान्ह और दातागण को मिलाकर प्रवर्तन समिति बनाया जाना-** अपनी इस स्वीय विधि निषाद पर्सनल लॉ को समाज में लोगों के बीच तक पहुँचाने के लिए पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराना आवश्यकता महसूस की गई। प्रकाशन हेतु आर्थिक उपलब्धता हेतु यह प्रस्तावित किया गया कि जो कोई ₹1000/ के सहयोग करते हैं उनका फोटो सहित शुभकामना संदेश लगाया जायेगा तथा जो कोई ₹500/ का सहयोग करते हैं उनका बिना फोटो शुभकामना संदेश प्रकाशित किया जायेगा तथा जो कोई ₹200/ का सहयोग करते हैं उनका नाम शुभकामना संदेश देने वालों की सूची में सामिल किया जायेगा। साथ ही यह निर्धारित हुआ कि जो कोई इस प्रकार शुभकामना संदेश के लिए सहयोग राशि प्रदान करते हैं उन सभी लोगों को मिलाकर निषाद पर्सनल लॉ प्रवर्तन समिति बनेगी, जो समिति निषाद पर्सनल लॉ को प्रवर्तित कराने का कार्य करेगी और पर्सनल लॉ के अनुसार विस्तार और अन्य कार्यों को इस पर्सनल लॉ अनुसार करायेगी तथा पर्सनल लॉ के संचालन पालन में आ रही कमियों या आक्षेपों पर विचार करेंगे और विचारण करके पर्सनल लॉ में संसोधन निस्काशन और सामिल कराने का कार्य करेंगे। **********

निषाद पर्सनल लॉ नियमावली

निषाद पर्सनल लॉ के सुचारु रूप से पालन के लिए
नियमावली और प्ररूपों का बनाया जाना
आवश्यक है
अस्तु निम्नलिखित रूप में
निषाद पर्सनल लॉ नियमावली
बनाई जाती है।

अध्याय 1
प्रारम्भिक

नियम 1. **उद्देश्यिका** - जल, जंगल, पहाड़, नदी घाटी के वासी एवं प्रकृति पर आश्रित समुदाय सहित जितने भी समुदाय हैं सभी आदिवासी समुदाय से हैं और असंगठित बिखरे तमाम उपजातियों जातियों में बंटे हैं उन्हें एक करने उनकी सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक यानी सर्वांगीण विकास के लिए उन सबको एक नाम जो पुर्व से अधिकतम लोगों द्वारा कहा जाता है उसी नाम में समाहित किया जाता है।

नियम 2. **पैरा 1 नाम -** शासन, प्रशासन, भौगोलिक और राजनीतिक स्तर विश्व, महाद्वीप, द्वीप, राष्ट्र, राज्य, नगर महापालिका, मंडल, नगर निगम, जिला, लोक सभा, विधान सभा, तहसील या उपखण्ड, विकास खण्ड या ब्लाक, नगर पालिका, गाँव, नगर पंचायत, वार्ड या जो भी स्तर हो, में विश्व, राष्ट्र, राज्य, जिला, विकास खण्ड या ब्लाक एवं गाँव स्तर पर निषाद की उस स्तर में निवास करने वाले सभी जातियों उपजातियों को लेकर निषाद की इकाई स्थापित की जायेगी।

नियम 3. **सदस्यता –** निषाद की सदस्यता के लिए निम्न प्रारूप 1 का उपयोग किया जायेगा जिसमें दर्ज अकाउंट नं पर अपना पैरा 11 के अनुसार न्यूनतम वार्षिक अंशदान जमा करके सदस्यता आवेदन भरकर अपने स्थानीय या जो भी ज्ञात इकाई हो को प्रेषित करेंगें।

खाता - निषाद समाज - सं. 318321010000038 – IFSC – UBIN0931837

निषाद समाज (रजि.ट्रस्ट)

जल, जंगल, पहाड़ एवं नदी घाटी वासियों का विधिक मंच (ट्रस्ट) पं. का. जमीनप्यारअली सदर जौनपुर उ.प्र. 222001

पत्रांक दिनांक

सदस्यता आवेदन पत्र क्र सदस्यता आवेदन पत्र (प्ररूप1)

1. नाम .....
2. माता का नाम .....
3. पिता का नाम .....
4. उपजाति /कुरी/कौम .....
5. जन्मतिथि .....
6. योग्यता .....
7. व्यवसाय .....
8. कौशल .....
9. विवाहित .....
10. ससुराल/मायका .....
11. वार्ड .....
12. गांव/ मोहल्ला/ नगर .....
13. ब्लॉक/ विकासखंड .....
14. विधानसभा .....
15. तहसील .....
16. लोकसभा .....
17. जनपद .....
18. मो.नं. .....
19. ई-मेल आई डी .....

मैं ..... निषाद पर्सनल लॉ के अनुसार अपना सदस्यता आवेदन करता हूं तथा अपना परिवारिक विवरण और वार्षिक सहयोग राशि शब्दों में ..... (अंको में .....) इवेंट आईडी ..... से दिनांक ..... को ट्रस्ट के खाता सं ..... में प्रदान कर दिया हूँ।

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि मैं अपने गुण कला कौशल से निषाद को आगे बढ़ाने में निषाद के नियम और उद्देश्य के अनुसार सहयोग पूर्ण अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास करूंगा/ करूँगी और करता रहूंगा/ करती रहूँगी

हस्ताक्षर
दिनांक

नियम 4. **सदस्यता पंजिका –** निषाद हर स्तर पर निम्न प्ररूप में अपने कार्यालय पर सदस्यता पंजिका रखेगी और अपने सदस्यों का पंजीकरण करके रखेगी। किसी परिवार में जन्म से या व्याह करके आने पर उसकी स्थानीय इकाई उनका पंजीकरण समय समय पर इस पंजिका में करती रहेगी और अध्यतन रखेगी।

शानदार e-mail- nishad.pariwar.samaj@gmail.com जबरदस्त **पंजी. सं. IV/1/2021 PAN_AADTN6049F** जिन्दाबाद

खाता - निषाद समाज - सं. 318321010000038 – IFSC – UBIN0931837

निषाद समाज (सदस्यता पंजिका)

जल, जंगल, पहाड़ एवं नदी घाटी वासियों का विधिक मंच **(ट्रस्ट)** पं. का. जमीनप्यारअली सदर जौनपुर उ.प्र. 222001

सदस्यता पंजिका (प्ररूप 2)

1-	सदस्य का नाम		वि.खण्ड		
	माता का नाम		विधानसभा		
	पिता का नाम		तहसील		
	मो.नं		लोकसभा		
	ग्राम. नगर	वार्ड	जिला		
	सदस्यता क्र	कार्यकाल	प्रदेश		
	शुल्क	दिनांक	रिफरेंस आईडी		
	E-mail-			जन्मतिथि	

2	सदस्य का नाम		वि.खण्ड		
	माता का नाम		विधानसभा		
	पिता का नाम		तहसील		
	मो.नं		लोकसभा		
	ग्राम. नगर	वार्ड	जिला		
	सदस्यता क्र	कार्यकाल	प्रदेश		
	शुल्क	दिनांक	रिफरेंस आईडी		
	E-mail-			जन्मतिथि	

नियम 5. **विस्तार पंजिका (क्षेत्र) -** निषाद चूँकि जल, जंगल, पहाड़, नदी घाटी वासियों, आदिवासियों को समाहित करने वाला समाज है जो आज तमाम क्षेत्र तक विस्तारित हो गया है जिस स्थान क्षेत्र तक निषाद का विस्तार किया जायेगा जहाँ निषाद पर्सनल लॉ और इस नियमावली की जानकारी जिस क्षेत्र में दिया जाता है और शासन समिति का निर्माण किया जाता है सभी का नाम इस पंजिका में दर्ज किया जाता रहेगा। जिसके आधार पर निर्धारित होगा कि कौन कौन से क्षेत्र में निषाद विस्तारित हो गया है।

शानदार e-mail- nishad.pariwar.samaj@gmail.com जबरदस्त **पंजी. सं. IV/1/2021 PAN_AADTN6049F** जिन्दाबाद

खाता - निषाद समाज - सं. 318321010000038 **IFSC – UBIN0931837**

निषाद समाज (विस्तार पंजिका क्षेत्र)

जल, जंगल, पहाड़ एवं नदी घाटी वासियों का विधिक मंच **(ट्रस्ट)** पं. का. जमीनप्यारअली सदर जौनपुर उ.प्र. 222001

विस्तार पंजिका (क्षेत्र) प्ररूप 3

क्र.	कार्यवाही पंजिका प्रस्ताव क्रमांक	प्रस्तावक एवं प्रस्ताव	विस्तार
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
15			

नियम 6. विस्तार पंजिका (जाति) - निषाद चूँकि जल, जंगल, पहाड़, नदी घाटी वासियों, आदिवासियों को समाहित करने वाला समाज है इसमें तमाम उपजातियां हो गये हैं तमाम सरनेम लोग लगाते है कुछ लोग केबल मछुआरा मानते हैं कुछ लोग केवल जल से सम्बन्धित मानते हैं कुछ लोग केवल नाव से सम्बन्धित मानते हैं परन्तु हकीकत यह है कि यह सभी जल, जंगल, पहाड़, नदी घाटी वासियों, आदिवासियों सभी निषाद में आते हैं सभी उपजातियाँ जो अपने आप को निषाद में मानते हैं या निषाद में आते हैं सभी का नाम इस पंजिका में दर्ज किया जाता रहेगा। जिसके आधार पर निर्धारित होगा कि कौन कौन से सर नेम और उपजातियाँ निषाद में समाहित हो गये हैं।

शानदार e-mail- nishad.pariwar.samaj@gmail.com जबरदस्त **पंजी. सं. IV/1/2021 PAN_AADTN6049F** जिन्दाबाद

खाता - निषाद समाज - सं. 318321010000038 IFSC – UBIN0931837

निषाद समाज (विस्तार पंजिका जाति)

जल, जंगल, पहाड़ एवं नदी घाटी वासियों का विधिक मंच **(ट्रस्ट)** पं. का. जमीनप्यारअली सदर जौनपुर उ.प्र. 222001

विस्तार पंजिका (जाति) प्ररूप 4

क्र.	कार्यवाही पंजिका प्रस्ताव क्रमांक	प्रस्तावक एवं प्रस्ताव	विस्तारित जाति उपजाति कुरी कौम सरनेम
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
15			

नियम 7. **विस्तारक आवेदन पत्र –** पैरा 4(2) के अनुसार जिस किसी भी सदस्य को जिस किसी भी स्तर में निषाद का विस्तार नहीं है निषाद की कार्यकारणी का गठन नहीं है का गठन कराने के निए निम्नवत विस्तारक बनना आवेदित करेंगे

शानदार e-mail- nishad.pariwar.samaj@gmail.com जबरदस्त पंजी. सं. IV/1/2021 PAN_AADTN6049F जिन्दाबाद

निषाद समाज - सं. 318321010000038– IFSC – UBIN0931837

निषाद समाज (पंजी ट्रस्ट)

जल, जंगल, पहाड़ एवं नदी घाटी वासियों का विधिक मंच **(ट्रस्ट)** पं. का. जमीनप्यारअली सदर जौनपुर उ.प्र. 222001

विस्तारक आवेदन पत्र (प्ररूप 5)

सेवा में

श्रीमान अध्यक्ष/प्रवंधक महोदय

निषाद इकाई .....

निषाद जी

आवेदक मैं ..... सदस्यता क्र0 ..... से निषाद का सदस्य हूँ। स्तर ..... स्तर का नाम ..... या जाति उपजाति सरनेम ..... के परिवारों तक निषाद की इकाई का विस्तार नहीं है। मैं प्रार्थी / प्रार्थिनी अपने उक्त स्तर/ उपजाति पर निषाद का विस्तार करना चाहता / चाहती हूँ और इस आवेदन पत्र के द्वारा अपना विस्तारक बनना आवेदन कर रहा/ रही हूँ। विस्तारक स्वीकृत करते हुए विस्तार करने की अनुमति प्रदान करना आवश्यक है।

अतः आप निषाद जी से आग्रह और निवेदन है कि प्रार्थी / प्रार्थिनी आवेदक को स्तर ..... स्तर का नाम ..... या जाति उपजाति सरनेम ..... के परिवारों तक का विस्तारक स्वीकृत करते हुए विस्तार करने की अनुमति प्रदान की जावे ताकि निषाद का विस्तार हो और विस्तारित होकर निषाद का उन्नयन विकास हो।

आवेदक

नाम ..... सदस्यता क्र0 .....

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि मैं अपने गुण कला कौशल से निषाद को आगे बढ़ाने में निषाद के नियम और उद्देश्य के अनुसार सहयोग पूर्ण अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास करूंगा/ करूँगी और करता रहूंगा/ करती रहूँगी।

हस्ताक्षर

दिनांक

नियम 8. कार्यकारणी सक्रिय करने हेतु सूचना - पैरा 4(3) के अनुसार जिस किसी भी स्तर में निषाद का विस्तार है और कार्यकारणी रन नहीं कर रही है निषाद की कार्यकारणी की सुचारुता के लिए विस्तारक को निम्नवत सूचना प्रेषित की जायेगी

शानदार e-mail- nishad.pariwar.samaj@gmail.com जबरदस्त पंजी. सं. IV/1/2021 PAN_AADTN6049F जिन्दाबाद

निषाद समाज - सं. 318321010000038– IFSC – UBIN0931837

निषाद समाज (पंजी ट्रस्ट)

जल, जंगल, पहाड़ एवं नदी घाटी वासियों का विधिक मंच **(ट्रस्ट)** पं. का. जमीनप्यारअली सदर जौनपुर उ.प्र. 222001

विस्तार सक्रिय करने हेतु सूचना (प्ररूप 6)

सेवा में

श्रीमान विस्तारक / संचालक महोदय

निषाद इकाई .....

निषाद जी

बड़े दुःख के साथ आपको सूचित किया जाता है कि आपके स्तर ..... स्तर का नाम जिसका विस्तार, विस्तार पंजिका (क्षेत्र) क्र0 ..... से विस्तार किया गया। परन्तु यह ज्ञात हुआ है कि आपके उक्त स्तर की कार्यसमितियां सुचारु पूर्वक कार्य नहीं कर रही हैं। ऐसी स्थिति में विस्तारक परिवर्तन करने हेतु प्रस्ताव आया हुआ है। लिहाजा आपको प्रथम / द्वितीय / तृतीय सूचना दिया जाता है कि निषाद इकाई को 10 दिन के अन्दर सक्रिय करें और कार्यकारणी/शासन समिति के द्वारा उनके सक्रिय / गठन की सूचना समय से प्रेषित करायें ताकि निषाद का उन्नयन और विकास होना सुनिश्चित हो।

अतः निषाद जी समय रहते आवश्यक कार्यवाही करें ताकि निषाद की सुचारुता बनी रहे।

भवदीय

नाम .....

पद .....

हस्ताक्षर व मुहर दिनांक

नियम 9. विस्तारक / संचालक को हटाया जाना - पैरा 4(3) के अनुसार जिस किसी भी स्तर में निषाद का विस्तार है और कार्यकारणी रन नहीं कर रही है और विस्तारक / संचालक को तीन सूचना देने के उपरान्त भी इकाई के शासन समिति की ओर से कार्य करने का आवेदन या कोई यथोचित प्रतिक्रिया नहीं आता है तो निम्नवत पत्र प्रेषित करके हटा दिया जायेगा

शानदार e-mail- nishad.pariwar.samaj@gmail.com जबरदस्त पंजी. सं. IV/1/2021 PAN_AADTN6049F जिन्दाबाद

निषाद समाज - सं. 318321010000038– IFSC – UBIN0931837

निषाद समाज (पंजी ट्रस्ट)

जल, जंगल, पहाड़ एवं नदी घाटी वासियों का विधिक मंच **(ट्रस्ट)** पं. का. जमीनप्यारअली सदर जौनपुर उ.प्र. 222001

विस्तारक / संचालक को हटाये जाने का पत्र (प्ररूप 7)

सेवा में

श्रीमान विस्तारक / संचालक महोदय

निषाद इकाई .....

निषाद जी

बड़े दुःख के साथ आपको सूचित किया जाता है कि आपके स्तर ..... स्तर का नाम जिसका विस्तार विस्तार पंजिका (क्षेत्र / जाति) क्र0 ..... से विस्तार किया गया। परन्तु यह ज्ञात हुआ है कि आपके उक्त स्तर जाति उपजाति सरनेम की कार्यसमितियां सुचारु पूर्वक कार्य नहीं कर रही हैं। ऐसी स्थिति में विस्तारक परिवर्तन करने हेतु प्रस्ताव आया और आपको प्रथम सूचना दिनांक ..... को, द्वितीय सूचना ..... को और तृतीय सूचना दिनांक ..... दिया गया। उक्त के बावजूद आपके उक्त स्तर ..... स्तर का नाम ..... जाति उपजाति सरनेम से किसी कार्यकारणी या शासन समिति की कार्य करने या गठन की सूचना या यथोचित प्रतिउत्तर नहीं आया। ऐसी स्थिति में समाज हित में निषाद के समाज कार्य को किये जाने और विधिवत चलायमान रखने के लिए नया विस्तारक / संचालक चयनित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में आपकी और आपके स्तर की अक्रियता को देखते हुए आप विस्तारक ..... स्तर ..... स्तर का नाम ..... को पदच्युत किया जाना आवश्यक है।

अतः निषाद जी आप विस्तारक ..... स्तर ..... स्तर का नाम ..... जाति उपजाति सरनेम को पदच्युत किया जाता है। ताकि निषाद की सुचारुता बनी रहे।

नोट – दो दिवस के अन्दर इस सूचना के प्रति कार्यवाही किया जा सकता है। तत्पश्चात कोई अवसर नहीं दिया जायेगा।

भवदीय

नाम .....

पद .....

हस्ताक्षर व मुहर

दिनांक

नियम 10. विस्तारक / संचालक चयन पत्र – पैरा 4(3) के अनुसार जिस किसी भी स्तर में निषाद का विस्तारक बनाया जाना है या पदच्युत कर दिये गये हैं तो निम्नवत पत्र प्रेषित करके विस्तारक बना दिया जायेगा

शानदार e-mail- nishad.pariwar.samaj@gmail.com जबरदस्त पंजी. सं. IV/1/2021 PAN_AADTN6049F जिन्दाबाद

निषाद समाज - सं. 318321010000038– IFSC – UBIN0931837

निषाद समाज (पंजी ट्रस्ट)

जल, जंगल, पहाड़ एवं नदी घाटी वासियों का विधिक मंच **(ट्रस्ट)** पं. का. जमीनप्यारअली सदर जौनपुर उ.प्र. 222001

विस्तारक / संचालक बनाये जाने का पत्र (प्ररूप 8)

क्रमांक ..... दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि निषाद .....(स्तर) इकाई ..... (स्तर का नाम) के विस्तारक के रूप में सदस्यता क्र0 ..... कार्यकाल ..... से

सदस्य नाम ..... माता / पति .....

पिता / अभि0 ..... निवासी वार्ड .....

गांव/ मोहल्ला/ नगर ..... ब्लॉक/ विकासखंड .....

विधानसभा ..... तहसील .....

लोकसभा ..... जनपद .....

प्रदेश ..... मो.नं. .....को विस्तारक मनोनीत किया गया है।

निषाद आशा और विश्वास रखता है है कि श्रीमान जी के सानिध्य में उत्तरोत्तर विकास करते हुए समाज की ऊँचाइयों को छुएगा तथा सभ्यता के चरमोत्कर्ष को प्राप्त करेगा।

समाज श्रीमान जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है।

भवदीय

नाम .....

पद .....

हस्ताक्षर व मुहर

दिनांक

नियम 11. पैरा 4 (5) के अनुसार

प्रारम्भिक कार्यकारणी निर्माण बैठक कार्यवाही प्ररूप 9

आज दिनांक ..... दिन ..... समय ..... बजे स्थान ....पर निषाद के लोगों की बैठक की जा रही है जिसमें निषाद पर्सनल लॉ के अनुसार निषाद समाज स्तर ..... इकाई स्तर का नाम ..... की प्रारम्भिक कार्यकारणी निर्माण के प्रति चर्चा की गई और सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि अपने स्तर ..... स्तर का नाम ..... में निवासित निषाद के सभी लोगों को निषाद पर्सनल लॉ को बताया जाना और पर्सनल लॉ के अनुसार समितियों का निर्माण किया जाना और समाज के कार्यों को निषाद पर्सनल लॉ के अनुसार संचालित किया जाना आवश्यक है। अस्तु उक्त के लिए प्रारम्भिक कार्यकारणी का निर्माण किया जा रहा है और

1. सदस्यता क्रमांक ..... से सदस्य नाम ..... को वरिष्ठ संरक्षक,
2. सदस्यता क्रमांक ..... से सदस्य नाम ..... को कनिष्ट संरक्षक,
3. सदस्यता क्रमांक ..... से सदस्य नाम ..... को संरक्षक
4. सदस्यता क्र0 .....के सदस्य नाम ..... को अध्यक्ष,
5. सदस्यता क्र0 ..... से सदस्य नाम ..... को कोषाध्यक्ष,
6. सदस्यता क्रमांक ..... से सदस्य नाम ..... को प्रबंधक,
7. सदस्यता क्रमांक ..... से सदस्य नाम .... को वरिष्ठ सचिव,
8. सदस्यता क्रमांक ..... से सदस्य नाम ..... को कनिष्ठ सचिव,
9. सदस्यता क्रमांक ..... से सदस्य नाम ..... को उपाध्यक्ष
10. सदस्यता क्रमांक ..... से सदस्य नाम ..... को आडीटर
11. सदस्यता क्रमांक ..... से सदस्य नाम ..... को सदस्य कार्यकारणी

मनोनीत किया गया सभी लोगों ने अपने अपने पद को सहर्ष स्वीकार किया और अपने अपने पद पर पद के अनुरूप विधिवत सक्रिय रूप से कार्य करने का वचन दिया। आगे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अपने निषाद .....इकाई ..... का कार्यालय पता ....पदाधिकारी..... का आवास होगा। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही की प्रति अपनी उच्चस्त कार्यकारणी ..... को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाय ताकि कार्यकारणी निषाद पर्सनल लॉ के अनुरूप अन्य समितियों का निर्माण पर्सनल लॉ अनुसार करा सके और समाज पर्सनल लॉ के अनुसार चलकर सामाजिकता की पराकाष्ठा को प्राप्त करें। अनुमोदन पत्र वापस आने पर बैठक की सूचना के साथ बैठक किये जाने की जानकारी दिये जाने के साथ विस्तारक महोदय द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया और बैठक का समापन किया गया।

हस्ताक्षर विस्तारक

सभी सदस्य अपना हस्ताक्षर व पद लिखें

नोट – जहाँ न्यूनतम तीन ही व्यक्ति से प्रारम्भिक कार्यकारणी का निर्माण किया जा रहा हो वहाँ क्रमांक 4,5,व 6 के पदों का कार्यवाही बनाया जायेगा तथा यदि सदस्य तीन से अधिक बढ़ते हैं तो सदस्य की संख्या के अनुसार पदों को घटाया और सदस्य कार्यकारणी को बढ़ाया जा सकेगा।

नियम 12. पैरा 4(5) प्रस्तावित कार्यकारणी प्ररूप 10

समाज के कार्यों को निषाद पर्सनल लॉ के अनुसार संचालित किया जाना आवश्यक है। अस्तु उक्त के लिए प्रारम्भिक कार्यकारणी का निर्माण दिनांक ..... को बैठक करके निम्ननवत किया गया है।

क्र0	नाम	पता व सम्पर्क नं0	पद	हस्ताक्षर

हस्ताक्षर विस्तारक

नियम 13. पैरा 4(5) उच्चस्त कार्यकारणी को अनुमोदन हेतु प्रार्थना पत्र प्ररूप 11

सेवा में

श्रीमान अध्यक्ष/प्रवंधक महोदय

निषाद (ट्रस्ट) केन्द्रीय (पंजीकरण) कार्यालय

मोहल्ला चकप्यारअली, पो0 सदर जौनपुर उत्तर प्रदेश 222001

विषय – प्रारम्भिक कार्यकारणी अनुमोदन के सम्बन्ध में

श्रीमान जी

सादर अवगत कराना है है कि निषाद पर्सनल लॉ को पढ़कर जानकर विस्तारक ..... के द्वारा .....इकाई ..... के निर्माण के प्रति दिनांक ..... को बैठक की गई , बैठक की कार्यवाही प्रारूप 9 संलग्न है, जिसमें प्रस्तावित कार्यकारणी की सूची प्रारूप 10 भी संलग्न है। ..... इकाई ..... के सुचारुपूर्वक एक होने और एक केन्द्र से संचालित होने के लिए केन्द्रीय संस्तुति और अनुमोदन आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि ..... इकाई ..... की प्रारम्भिक कार्यकारणी का अनुमोदन करते हुए कार्यअधिकार प्रदान करने की कृपा की जावे ताकि निषाद पर्सनल लॉ के अनुसार निषाद के विकास के कार्यों को सुचारुपूर्वक किया जा सके।

निवेदक

विस्तारक

..... इकाई .....

नियम 14. पैरा 4(6) के अनुसार कार्य अधिकार पत्र प्ररूप 12

शानदार e-mail- nishad.pariwar.samaj@gmail.com जबरदस्त पंजी. सं. IV/1/2021 PAN_AADTN6049F जिन्दाबाद

निषाद समाज - सं. 318321010000038– IFSC – UBIN0931837

निषाद समाज (पंजी ट्रस्ट)

जल, जंगल, पहाड़ एवं नदी घाटी वासियों का विधिक मंच (ट्रस्ट) पं. का. जमीनप्यारअली सदर जौनपुर उ.प्र. 222001

पत्रांक कार्य अधिकार / ...../ वर्ष ..... पत्र दिनांक .....

(प्ररूप12)

सेवा में

श्रीमान विस्तारक निषाद (ट्रस्ट) ..... इकाई .....

पता .....

.....

मान्यवर

आप निषाद ..... इकाई ..... की प्रारम्भिक कार्यकारणी की संस्तुति के लिए प्रेषित पत्र पर गहन विचार किया गया। आपकी कार्यकारणी द्वारा निषाद पर्सनल लॉ एवं नियमावली की लगभग समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होना पाया गया। लिहाजा बोर्ड इस निर्णय पर पहुँचा है कि आपकी कार्यकारणी को निषाद..... इकाई ..... का कार्य भार सौंपा जाना और कार्य करने के लिए पत्र प्रदान किया जाना आवश्यक और उचित है। लिहाजा बोर्ड द्वारा इस कार्य पत्रक के साथ कार्यवाही पंजिका की सत्य प्रतिलिपि एवं निषाद पर्सनल लॉ एवं नियमावली की सत्य प्रतिलिपि व पैनकार्ड की कापी व निषाद ..... इकाई ..... की प्रारम्भिक कार्यकारणी की सूची की स्वीकृति प्रति हस्ताक्षर और मुहर के साथ रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जा रहा है।

निषाद कार्यवाही पंजिका ..... के प्रस्ताव क्रमांक ..... के आधार पर आप की प्रारम्भिक कार्यकारणी को निषाद ..... इकाई ..... का हर अधिकार प्रदान किया जाता है। निषाद (ट्रस्ट) की पंजीकृत नियमावली की पैरा 7(e) के अनुसार अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ सचिव के हस्ताक्षर से निषाद ..... इकाई ..... की साधारण खाता और स्मृति खाता दो बैंक अकाउंट के लिए आवेदन करके निषाद ..... इकाई ..... का समस्त कार्यभार व गतिविधि करते हुए निषाद को निषाद पर्सनल लॉ एवं नियमावली अनुसार संगठित और संचालित करने का हर अधिकार है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि निषाद को निषाद शब्द की मूल भावनाओं के अनुरूप आपकी कार्यकारणी उत्तरोत्तर विकास करेगी तथा निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता का संरक्षण विकास एवं विस्तार करेगी।

अतः कार्यवाही पंजिका और इस कार्य पत्रक के आधार पर अधिकार प्राप्त करते हुए यथोचित कार्य और गतिविधि करने की कृपा करें ताकि निषाद उत्तरोत्तर वृद्धि करे और समाजिक ऊँचाइयों को प्राप्त करे। निषाद के उत्तरोत्तर विकास की कामनाओं के साथ।

आपका

नाम पद दिनांक

नियम 15. बैंक अकाउंट खोले जाने की सूचना पैरा 4(7) प्ररूप 14

शानदार e-mail- nishad.pariwar.samaj@gmail.com जबरदस्त पंजी. सं. IV/1/2021 PAN_AADTN6049F जिन्दाबाद

क्षेत्र क्र ..... खाता - सं. .....– IFSC – .....

निषाद समाज .....इकाई .....

जल, जंगल, पहाड़ एवं नदी घाटी वासियों का विधिक मंच (ट्रस्ट)

पत्रांक 1 सूचना वर्ष ..... दिनांक ..... (प्ररूप14)

प्रतिष्ठा में

श्री मान प्रभारी केन्द्रीय कार्यालय निषाद समाज

मोहल्ला चकप्यारअली सदर जौनपुर उत्तरप्रदेश 222001

विषय – निषाद ..... इकाई .....का बैंक अकाउंट खोले जाने की सूचना

निषाद जी

सहर्ष अवगता कराया जाता है कि आप केन्दीय निषाद की संस्तुति पर निषाद ..... इकाई .....आपके आदेशानुसार अपना बैंक अकाउंट बैंक नाम ..... शाषा ..... में खोला गया है जिसका नं0 ..... व IFSC ..... व UPI ID .....है।

पर्सनल लॉ की पैरा 4(7) के अनुसार सूचना सादर सेवा में प्रेषित है।

अतः निषाद जी यथावश्यक पंजिका में दर्ज करने की कृपा की जावे। अन्य सूचना एवं गतिविधि समय से प्रेषित किया जाता रहेगा।

आपका

अध्यक्ष

निषाद समाज ..... इकाई .....

पता .....

दिनांक .....

नियम 16. कार्यकारणी के कार्य न किये जाने की सूचना पैरा 4(7) नोट प्ररूप 15

विस्तारक को पता चलता है कि कार्यकारणी नियमानुसार कार्य नहीं कर रहा है तो इस प्ररूप में अपना क्षेत्र क्रमांक और खाता सं तथा आई एफ एस सी कोड भरते हुए खाली स्थान में अपने स्तर और स्तर के नाम को तथा कार्यालय के पता को दर्ज करते हुए पत्रांक सं देते हिदायत 1,2,3 जो हो को भरते हुए वर्ष भरते हुए दिनांक के साथ कार्यकारणी के अध्यक्ष या प्रवंधक को सम्बोधित पत्र जो कार्य या गतिविधि नहीं की जा रही है को दर्ज करते हुए जितने भी शिकायत आयो हों या हो को दर्ज करके प्रेषित करेंगे। यदि 10 दिन के अन्दर सुधार नहीं होता है तो क्रमशः दूसरा और तीसरा सूचना भेजेंगे और तीसरे सूचना पर भी कार्यकारणी को सही कार्य गतिविधि न करने की स्थिति में भंग कर देंगे।

शानदार e-mail- nishad.pariwar.samaj@gmail.com जबरदस्त **पंजी. सं. IV/1/2021 PAN_AADTN6049F** जिन्दाबाद

क्षेत्र क्र ..... खाता - सं. .....– IFSC – .....

निषाद समाज .....इकाई .....

जल, जंगल, पहाड़ एवं नदी घाटी वासियों का विधिक मंच **(ट्रस्ट) पता -**

पत्रांक ..... सू / हि ..... वर्ष ..... दिनांक ..... (प्ररूप15)

सेवा में

श्री मान अध्यक्ष/ प्रवंधक महोदय

निषाद ..... इकाई .....

श्रीमान जी

मुझ विस्तारक को अवगत कराया गया / स्वतः संज्ञान में है कि आपकी कार्यकारणी अपने पर्सनल लॉ के अनुसार सुचारु रूप से कार्य और गतिविधियां संचालित नहीं कर रही हैं। जिसमें

1. पैरा .....का कार्य नहीं किया गया है।
2. पैरा .
3. ,..
4. ..

पर्सनल लॉ की पैरा 4(7) के अनुसार सूचना सादर सेवा में प्रेषित है।

अतः निषाद जी यथावश्यक पंजिका में दर्ज करने की कृपा की जावे। अन्य सूचना एवं गतिविधि समय से प्रेषित किया जाता रहेगा।

आपका

अध्यक्ष

निषाद समाज ..... इकाई .....

पता .....

दिनांक .....

नियम 17. कार्यकारणी भंग किये जाने का प्ररूप पैरा 4(7) नोट प्ररूप 16

शानदार e-mail- nishad.pariwar.samaj@gmail.com जबरदस्त **पंजी. सं. IV/1/2021 PAN_AADTN6049F** जिन्दाबाद

क्षेत्र क्र ..... खाता - सं. .....– IFSC – .....

निषाद समाज .....इकाई .....

जल, जंगल, पहाड़ एवं नदी घाटी वासियों का विधिक मंच **(ट्रस्ट) पता -**

पत्रांक ..... भंग ..... वर्ष ..... दिनांक ..... (प्ररूप16)

सेवा में

श्रीमान अध्यक्ष/प्रवंधक महोदय

निषाद (ट्रस्ट) केन्द्रीय (पंजीकरण) कार्यालय

मोहल्ला चकप्यारअली, पो0 सदर जौनपुर उत्तर प्रदेश 222001

विषय – कार्यकारणी भंग किये जाने के सम्बन्ध में

श्रीमान जी

मुझ विस्तारक (क्षेत्र/उपजाति) ..... की इकाई .....इकाई ..... के ..... कार्यकारणी की गतिविधियां विधिसम्मत संचालित नहीं हो रही थी जिसके प्रति प्ररूप 15 में गतिविधि सुधार के प्रति सूचना प्रथम दिनांक ....., द्वितीय दिनांक ..... को तथा तृतीय सूचना दिनांक ..... प्रेषित किया गया और कार्य और गतिविधि सुधार का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया फिर भी कार्यकारणी द्वारा अपनी गतिविधि में सुधार नहीं किया गया। कार्यकारणी का कार्यकाल आधा बीत चुका है नहीं बीता है ऐसी स्थिति में कार्यकारणी को भंग किया जाना समाज हित में आवश्यक और उचित है तथा नई कार्यकारणी का गठन / कार्यवाहक नियुक्त किया जाना अपनी पर्सनल लॉ की पैरा 30 के अनुसार विधिसम्मत है।

अतः निषाद जी यथावश्यक पंजिका में दर्ज करने व यथावश्यक कार्यवाही करने की कृपा की जावे। अन्य सूचना एवं गतिविधि समय से प्रेषित किया जाता रहेगा।

आपका

विस्तारक / संरक्षक

निषाद ..... इकाई .....

पता .....

दिनांक .....

नियम 18. स्थानीय विस्तारक आवेदन पैरा 6 प्ररूप 17

सेवा में

श्रीमान अध्यक्ष/प्रवंधक महोदय

निषाद समाज ..... इकाई .....

पता .....

द्वारा

अध्यक्ष/प्रवंधक महोदय

निषाद (ट्रस्ट) केन्द्रीय (पंजीकरण) कार्यालय

मोहल्ला चकप्यारअली, पो0 सदर जौनपुर उत्तर प्रदेश 222001

विषय – स्थानीय विस्तारक स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में

श्रीमान जी

आवेदक मैं ..... सदस्यता क्र0 ..... से निषाद का सदस्य हूँ। स्थानीय क्षेत्र ..... का नाम ..... की निषाद की इकाई का विस्तार नहीं है। मैं प्रार्थी / प्रार्थिनी अपने निषाद पर्सनल लॉ के अनुसार स्थानीय इकाई ..... का विस्तार करना चाहता / चाहती हूँ और अपना स्थानीय विस्तारक बनना आवेदन कर रहा/ रही हूँ। गाँव, नगर, वार्ड ..... का स्थानीय विस्तारक स्वीकृत करते हुए विस्तार करने की अनुमति प्रदान करना आवश्यक है।

अतः आप निषाद जी से आग्रह और निवेदन है कि प्रार्थी / प्रार्थिनी आवेदक को स्थान ..... स्थान का नाम ..... का विस्तारक स्वीकृत करते हुए विस्तार करने की अनुमति प्रदान की जावे ताकि निषाद का विस्तार हो और विस्तारित होकर निषाद का उन्नयन विकास हो।

आवेदक

नाम ..... सदस्यता क्र0 .....

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि मैं अपने गुण कला कौशल से निषाद को आगे बढ़ाने में निषाद के नियम और उद्देश्य के अनुसार सहयोग पूर्ण अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास करूंगा/ करूँगी और करता रहूंगा/ करती रहूँगी।

हस्ताक्षर

दिनांक

नियम 19. स्थानीय प्रस्तावित परिवार सूची पैरा 6 प्ररूप 18

प्रस्तावित परिवार मुखिया सूची (प्ररूप पत्र 18)

निषाद क्षेत्र वि. क्र.		क्षेत्र ग्राम / नगर		प्रस्ताव दि.	
प्रस्तावक		सहयोगी		प्रारम्भ कार्नर	

क्र.	नाम	क्र.	नाम	क्र.	नाम	क्र.	नाम
1		25		49		73	
2		26		50		74	
3		27		51		75	
4		28		52		76	
5		29		53		77	
6		30		54		78	
7		31		55		79	
8		32		56		80	
9		33		57		81	
10		34		58		82	
11		35		59		83	
12		36		60		84	
13		37		61		85	
14		38		62		86	
15		39		63		87	
16		40		64		88	
17		41		65		89	
18		42		66		90	
19		43		67		91	
20		44		68		92	
21		45		69		93	
22		46		70		94	
23		47		71		95	
24		48		72		96	

नियम 20. निषाद समाज स्थानीय इकाई निर्माण हेतु पंजीकरण प्रस्ताव पत्र प्ररूप 19

सेवा में

श्रीमान ..... मुखिया निषाद परिवार

परिवार क्रमांक ..... गाँव/नगर/वार्ड .....

स्नेही स्वजातीय बंधु

हम जल जंगल पहाड़ एवं नदी घाटी के वासियों, प्रकृति पर आश्रित समुदाय आदिवासियों की सामाजिक एकता और विकास के लिए वैचारिक मतभेदों को समाप्त करने के लिए विधि को सर्वोच्च बनाते हुए अपने समाज के लिए निषाद पर्सनल लॉ का निर्माण किया गया है। निषाद का पर्सनल लॉ का निर्माण करने वाले बुद्धिजीवी निषादों ने निषाद पर्सनल लॉ के अनुसार समाज के सभी कार्यों और गतिविधियों को करने और कराने के प्रति अग्रसर है।

जिसमें यह व्यवस्था किया गया है कि निषाद पर्सनल लॉ के आधार पर पूरे भारत में निवासित सभी निषाद व्यक्तियों का पर्सनल लॉ के साथ नाम व हस्ताक्षर उनकी स्वीकृति लिखित रूप में प्राप्त किया जाय। जिससे सबका वास्तविक आँकणा उपलब्ध होगा जिससे समाज के आवश्यकता अनुरूप सहयोग किया जा सकेगा।

जिसके क्रम में अपने सम्मानित गाँव/नगर/वार्ड में निषाद पर्सनल लॉ के अनुसार कार्यकारणी का निर्माण और विस्तार करने के लिए मुझ प्रार्थी नें उक्त पर्सनल लॉ अनुसार निर्मित केन्द्रीय कार्यकारणी से सदस्यता प्राप्त करके अनुमोदन प्राप्त किया है और अपने स्थानीय इकाई के विस्तार का जिम्मा प्रार्थी ने स्वीकार किया है। पर्सनल लॉ अनुसार मुझ विस्तारक की जिम्मेवारी है कि अपने समाज के सभी लोगों की संख्या और स्वीकृत सरकार तक प्रेषित करने में सही सही आँकणा केन्द्रीय कार्यकारणी को प्रस्तुत करें। जिसके प्रति आप सभी परिवारों तक स्वीकृत पत्र प्रेषित करने और परिवार की सदस्यता प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है जिसके अनुसार यह पत्र आप श्रीमान जी के परिवार तक प्रेषित है। अपने समुदाय के एकता और विकास के लिए निषाद पर्सनल लॉ के अनुसार चलने और समाज के साथ रहने के प्रति सभी परिवारों तथा सभी सदस्यों का आँकणा और विवरण दिया जाना आवश्यक है।

अतः आप निषाद गाँव/नगर/वार्ड के निवासी परिवार सं ..... से आग्रह और निवेदन है कि निषाद पर्सनल लॉ के अनुसार एकता में साथ रहने और होने के प्रमाण स्वरूप अपने परिवार का वार्षिक अंश दान ..... इकाई ..... के खाता **..... – IFSC – .....** में भेजकर भेजने के इवेंट आईडी के साथ अपने परिवार का विवरण इस प्रार्थना पत्र के पृष्ठ पर भरकर व सदस्यों के स्वीकृत स्वरूप हस्ताक्षर के साथ प्रेषित करने की कृपा करें। निषाद पर्सनल लॉ पी डी एफ के लिए मोबाइल नं0 7897314809, 7275701101 पर अपनी सदस्यता के साथ मांग करें अथवा हार्ड कापी के लिए 100रूपया खाते में भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। परिवार सं निर्धारित किये जाने के विषय में मेरे मो0नं0 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

निषाद के लिए

नाम .....

स्थानीय विस्तारक

गाँव/नगर/वार्ड इकाई .....

.....

प्ररूप 19 का पृष्ठ

सेवा में

श्रीमान राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार नई दिल्ली

द्वारा

अध्यक्ष/प्रवंधक महोदय निषाद (ट्रस्ट) केन्द्रीय (पंजीकरण) कार्यालय

मोहल्ला चकप्यारअली, पो0 सदर जौनपुर उत्तर प्रदेश 222001

विषय – निषाद पर्सनल लॉ स्वीकृति संकल्प (परिवार)

हम निषाद परिवार ..... के स्थानीय इकाई ग्राम ..... नगर ..... जनपद ..... प्रदेश ..... भारत देश के इस सूची के लोग अपनी इस निषाद पर्सनल लॉ को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करने के पक्ष में अपने नाम विवरण के सामने अंकित तिथि में अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं

क्र	नाम	माता / पति	पिता / अभि	जन्मतिथि	योग्यता	व्यवसाय	कौशल	विवाहित	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

हस्ताक्षर मुखिया

नियम 21. निषाद स्थानीय इकाई निर्माण बैठक सूचना प्ररूप 20

सेवा में

श्रीमान ..... मुखिया निषाद परिवार

परिवार क्रमांक ..... गाँव/नगर/वार्ड .....

स्नेही स्वजातीय बंधु

हम जल जंगल पहाड़ एवं नदी घाटी के वासियों, प्रकृति पर आश्रित समुदाय आदिवासियों की सामाजिक एकता और विकास के लिए वैचारिक मतभेदों को समाप्त करने के लिए विधि को सर्वोच्च बनाते हुए अपने समाज के लिए निषाद पर्सनल लॉ का निर्माण किया गया है। निषाद का पर्सनल लॉ का निर्माण करने वाले बुद्धिजीवी निषादों ने निषाद पर्सनल लॉ के अनुसार समाज के सभी कार्यों और गतिविधियों को करने और कराने के प्रति अग्रसर है।

निषाद पर्सनल लॉ अनुसार अपनी स्थानीय स्तर की कार्यकारणियों का गठन किया जा रहा है। जिसके क्रम में अपने सम्मानित निषाद गाँव/नगर/वार्ड इकाई ..... के निषाद के लोगों का पंजीकरण किया जाना, पंजीकरण के आधार पर स्थानीय इकाइयों के गठन कार्य और गतिविधियों की जानकारी दिया जाना और स्थानीय शासन समितियों का कार्य अधिकार आदि की जानकारी देने के लिए दिनांक ..... दिन ..... समय .....बजे स्थान ....पर अपने निषाद के गणमान्य लोग उपस्थित आ रहे हैं।

अतः आप निषाद के लोगों से आग्रह और निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में उपरोक्त समय और स्थान पर उपस्थित होकर समाज के लोगों को सुने निषाद पर्सनल लॉ के अनुसार बनने वाली अपनी स्थानीय इकाई, शासन समिति आदि को जाने और अपनी समस्याओं का निराकरण प्राप्त करने में न चूकें।

निषाद के लिए

नाम .....

स्थानीय विस्तारक

गाँव/नगर/वार्ड इकाई .....

.....

नियम 22. निषाद परिवार पंजिका प्ररूप 21

पंजिका सं ..... क्रमांक ..... वर्ष .....

निषाद परिवार नाम ..... क्र0 ..... के ग्राम ..... नगर .....

जनपद ..... प्रदेश ..... भारत देश

क्र	नाम	माता / पति	पिता / अभि	जन्मतिथि	योग्यता	व्यवसाय	कौशल	विवाहित	मोबाइल नंबर
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

नियम 23. परिवार पंजीकरण रसीद प्ररूप 22

शुल्क प्रमाण पत्र क्र शुल्क रसीद (प्ररूप पत्र 22)

प्रमाणित किया जाता है कि

निषाद जाति उपजाति विस्तार पंजिका में

क्रमांक ..... पर अंकित उपजाति .....

क्षेत्र विस्तार पंजिका के

क्रमाक .....पर अंकित

ग्राम ..... के परिवार क्र. .....पर अंकित

परिवार ..... का परिवार सदस्यता पंजीकरण पत्र के साथ सदस्यता शुल्क ₹ अंकों में ..... ₹ शब्दों में .....के साथ सधन्यवाद प्राप्त किया।

निषाद ..... परिवार के उज्ज्वल भविश्य की कामना करता है और आशा करता है कि निषाद पर्सनल लॉ के अनुरूप चलकर निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करके निषाद के उद्देश्यों को पूरा करते हुए निषाद को ऊँचाइयों पर पहुँचाने में अपना बहुमूल्य योगदान देते रहेंगे।

ह.

दि. मुहर

नियम 24. निषाद पंजीकृत परिवार पंजिका प्ररूप 23

निषाद क्षेत्र वि. क्र.		क्षेत्र ग्राम / नगर		विकासखण्ड	
जनपद		प्रदेश		प्रारम्भ कार्नर	

पंजीकृत परिवार क्र.	मुख्य परिवार सूची क्र0	मुखिया का नाम	सदस्य सं 0	सदस्यता शुल्क मु0	दिनांक	इवेंट आईडी

नियम 25. निषाद विपक्ष परिवार पंजिका प्ररूप 24

निषाद क्षेत्र वि. क्र.		क्षेत्र ग्राम / नगर		विकासखण्ड	
जनपद		प्रदेश		प्रारम्भ कार्नर	

विपक्षी परिवार क्र.	मुख्य परिवार सूची क्र0	मुखिया का नाम	सदस्य सं 0	कारण

नियम 26. 12 वर्ष की कार्यकारणी प्ररूप 25

निषाद क्षेत्र वि. क्र.		क्षेत्र ग्राम / नगर		प्रस्ताव दि.	
प्रस्तावक		सहयोगी		प्रारम्भ कार्नर	

प्रस्तावित परिवार क्र.	पंजीकृत परिवार क्र	मुखिया का नाम	पद	प्रस्तावित परिवार क्र.	पंजीकृत परिवार क्र	मुखिया का नाम	पद
			अध्यक्ष				अध्यक्ष
			उपाध्यक्ष				उपाध्यक्ष
			प्रवंधक				प्रवंधक
			कोषाध्यक्ष				कोषाध्यक्ष
			सचिव				सचिव
			आडीटर				आडीटर
			सदस्य				सदस्य
			सदस्य				सदस्य
			सदस्य				सदस्य
			सदस्य				सदस्य
			सदस्य				सदस्य
			सदस्य				सदस्य

नियम 27. शपथ प्ररूप 26

निषाद समाज पदाधिकारी शपथ प्ररूप

मैं ..... पुत्र .....

निवासी ..... सदस्यता क्र .....

क्षेत्र क्र ....., स्तर ..... इकाई .....

के पद ..... पर मनोनीत/चयनित किया गया हूँ।

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं निषाद पर्सनल लॉ में पूर्ण आस्था और विश्वास रखता हूँ तथा अपने निषाद पर्सनल लॉ के नियम और नियमावली के अनुरूप एवं उससे बढ़ चढ़ कर अच्छे से अच्छा कार्य करूंगा / करूँगी जिससे निषाद उत्तरोत्तर विकास करे एवं वास्तविक लोकव्यवस्था को प्राप्त और प्रदान करने में जो भी आवश्यक एवं उचित गतिविधि होगी नियमानुसार करने का शपथ लेता / लेती हूँ।

हस्ताक्षर दिनांक

नियम 28. किसी भी व्यक्ति जिसे निषाद पर्सनल लॉ को बताना और अपने निषाद पर्सनल लॉ के अनुरूप चलने के लिए प्रेरित और निषाद के विकास और उत्थान के उद्देश्य की पूर्ति में निषाद पर्सनल लॉ के लक्ष्यों को प्राप्त कराने में सहयोगी बनाना चहते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से निम्न पत्र के साथ अपना निषाद पर्सनल लॉ प्रेषित कर सकते हैं। जिसमें क्र0 के स्थान पर व्यक्तिगत प्रेषित करने का क्रमांक केन्द्रीय कार्यालय से पूछकर लिखे तत्पस्चात अपना सदस्यता क्रमांक लिखें तत्पश्चात आपके द्वारा भेजने वालों के जिस क्रम में हों वह क्रमांक लिखे और तत्पश्चात वर्ष लिखे और दिनांक लिखें। लिखकर पर्सनल लॉ और नियमावली की कापी के साथ भेज दें। यदि डाक द्वारा प्रेषित की जाती है तो उक्त की रसीद भी केन्द्रीय कार्यालय में दर्ज करा दें।

क्र0 स0क्र0 / /वर्ष दिनांक

सेवा में

श्रीमान निषाद ..... जी

निवासी .....

निषाद जी

आपको अवगत कराने में अपार हर्ष और गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आप जैसे व्यक्ति हमारे मित्र/रिस्ते की सूची में हैं।

साथ ही इस बात से भी हमें बहुत गर्व है कि हम जल, जंगल, पहाड़ एवं नदी घाटी वासी की कुरी, कौम, जाति उपजाति से हैं जो जहाँ निवास किया वहाँ शहर बसे वहीं सारी संस्कृति और सभ्यताएं निकल कर समाज को आज की स्थिति तक पहुँचायी हैं और यह मानव समाज आज दूसरे ग्रह पर भी जाने में सफल रहा है।

परन्तु बहुत दुःख है कि इन सब में जीवन की उत्पत्ति और सभ्यता के विकास के मुख्य पायदान पर हमारा निषाद ज्यों का त्यों पड़ा रह गया है। यहाँ तक कि हमारी कितनी उपजातियां आज भी नंगे रह रही हैं तथा कितने परिवार आज भी उसी जंगली दौर से गुजर रहे हैं। वह आज भी समाज और सामाजिक विकास की मुख्य धारा में नहीं जुड़ सके हैं साथ ही हमारी वसुधैव कुटुम्बकम की संस्कृति और सभ्यता आज तक पूरी धरती को एक करने में नाकाम रही है और हमारी अक्रियता की वजह से नागासाकी और हिरोसिमा बने और हमारी सोच और सहयोग की कमी से ही हमारा राज रहने के बावजूद हमारे राज पाठ चले गये लोक व्यवस्था खत्म हो गया।

इन सब का कारण समाज के लोगों का अपने सामाजिक संगठन का सहयोग न करना है तथा अपने सामाजिक संगठन के साथ न रहना है। हाँ यह बात अवश्य रही है कि निषाद समाज के हर किसी जाति उपजाति की आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी गई कि वह अपने पेट के अलावाँ सोच न सके परन्तु पेट भरने के साथ हम अपने घर गृहस्थी के हर कार्य को भी निभाते हैं तो उसी तरह हमें समाज में एक रहने के कार्य को भी घर गृहस्थी के लिए आवश्यक कार्य में से एक समझकर करना चाहिए और कर सकते हैं। परन्तु समाज व सामाजिक कार्य और गतिविधि को समाज के लोग इग्नोर करते हैं। यही समाज के पतन का मुख्य कारण है।

समाज कार्य और सामाजिक गतिविधियों को इग्नोर करने का एक और कारण रहा है बिना किसी ठोस रणनीति (लक्ष्य) के समाज के विकास के उद्देश्य को लेकर वने संगठन तथा उनकी लूट नीति भी रही है।

समाज के विकास का उद्देश्य और उक्त उद्देश्य की पूर्ति में नर्धारित किए गये समाज के हर पहलुओं जिसमें समाज के विकास के तत्व छिपे है को लिखित करके लिखित रूप से लक्ष्य और उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति के रूप में पूरे समाज को निषाद कहने मानने के कारण सहित निषाद पर्सनल लॉ वनाई गई है। जिसे आप तक भेजा जा रहा है हमारी प्रबल इच्छा है कि आप भी उसे देखें जाने और उसपर समाज को एक करने में अपना योगदान करें।

निषाद पर्सनल लॉ क प्रति संलग्न है।

नियम 29 – निषाद जयंती आयोजन उत्तर प्रदेश सूचना

स्नेही स्वजातीय बन्धु!

हमारे आराध्य श्री राम सखा श्रृंगवेरपुर नरेश गुरुद्रुह निषाद जी के पावन नगरी को सरकार द्वारा सजाने और सवारने का कार्य किया गया। पूरे निषाद के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। यह हर्ष का विषय हमेशा हमेशा बना रहे इसकी जिम्मेवारी हम निषाद समाज के एक एक लोग जो वर्तमान में हैं और जो आनेवाले हैं सबकी है। हम सब निषाद समाज के हर व्यक्ति की उक्त देवस्थली से लगाव है और वह सदैव बना रहे। जिसके लिए निषाद समाज हर स्तर पर निषाद समाज की कार्यसमितियां बना करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से हमेशा उक्त की निगरानी और ध्यान रखे जाने का विचार किया है। जिसके लिए निषाद समाज के लोगों के निवास करने के हर स्थान पर निषाद समाज के प्रतिनिधियों का चयन किया जाना और हर स्तर पर उनकी संरक्षण बाडी बनाया जाना आवश्यक है। जिसके लिए निषाद पर्सनल लॉ बनाई गई है और उक्त के अनुसार हर स्तर पर प्रतिनिधियों का चयन किया जाना है। स्थानीय स्तर गाँव/वार्ड/नगर पंचायत पर प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए तथा स्थानीय स्तर के लोगों की श्रद्धा सुमन अपने आराध्य तक पहुँचाने के लिए और अपने आराध्य का प्रसाद उन तक पहुँचाने के लिए हर स्थानीय स्तर पर स्थानीय विस्तारक होंगे तथा स्थानीय विस्तारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विकासखण्ड/ब्लाक विस्तारक होंगे और उनके ऊपर जिला विस्तारक होंगे और उनके ऊपर प्रदेश विस्तारक होंगे।

विस्तारक और प्रतिनिधियों को हर वर्ष निषाद जयंती श्रृंगवेरपुर में चैत्र शुक्ल चतुर्थी व पंचमी को मनाना है। नये पदाधिकारी चैत्र शुक्ल चतुर्थी को सायंकाल तक श्रृंगवेरपुर पहुँचेंगे और सायंकाल ही अपनी कार्यकारणी की अग्रिम वर्ष की गतिविधियों और रणनीति को प्रस्तुत करेंगे और प्रातःकाल निषाद बेला में निषाद जयंती मनायेंगे।

पुराने पदाधिकारी अपने अपने स्तर पर अपने मुख्यालय पर चैत्र शुक्ल पंचमी को दिनभर के निषाद जयंती का आयोजन करेंगे और अपनी लेखा जोखा देंगे व अपने कार्यकाल में के उत्कृष्ट कार्य और गतिविधियां करने वालों को सम्मानित करेंगे।

स्थानीय स्तर पर चतुर्थी को सायंकाल व प्रातःकाल निषाद जी की आरती कर जयंती मनायेंगे और दिन में अपने जिले के मुख्यालय पर जाकर जिले की कमेटी के साथ निषाद जयंती मनायेंगे।

निषाद जयंती और निषाद समाज के विकास के लिए निषाद समाज (ट्रस्ट) के पंजीकृत कार्यालय के खाता सं 318321010000038 - IFSC - UBIN0931837 में या निषाद समाज जिला इकाई जबलपुर चालू खाता (करेंट अकाउंट) ग्वारीघाट यूको बैंक नंबर 11710210001271, ऑनलाइन सर्विस हेतु UPI ID 11710210001271@ucobank तथा IFSC UCBA0001171 में भेजकर उक्त के प्रमाण के साथ अपना परिचय (बायोडाटा) अपने हस्ताक्षर के साथ **पंजीकृत कार्यालय** C/O रमेश निषाद प्रवंधक निषाद मोहल्ला चकप्यारअली, परगना हवेली तहसील सदर जौनपुर उत्तर प्रदेश 222001 के पते पर या सम्पर्क नं कार्यकारी 7897314809 व प्रवंधक 7275701101, या जबलपुर कार्यालय : निषाद समाज जिला इकाई जबलपुर कार्यालय C/O राजेन्द्र सिंह केवट पता 2582/01, पवित्र नगर, लालकुआँ, पोस्ट पोली पाथर, ग्वारीघाट रोड, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश पिन कोड 482008 के पते पर भेज सकते हैं। मो0 नं0 अध्यक्ष (निषाद जिला इकाई जबलपुर)9755013821, प्रबंधक (निषाद जिला इकाई जबलपुर) 9516213054 को भी भेज सकते हैं।

नियम 30 – केवट जयंती आयोजन मध्यप्रदेश सूचना

स्नेही स्वजातीय बन्धु!

मानव जीवन की उत्पत्ति के प्रारम्भिक काल के यातायात की पूरी व्यवस्था मर्मदर्शी नत्थालाल केवट हमारे निषाद समाज के एक महान जल यातायात के सेना नायक थे। इतिहास के पन्नों से हमें उजाड़ने का हर प्रयास था रहा और है परन्तु हम प्रकृति पूजकों के साथ प्रकृति है उसी प्राकृतिक छटा के बीच केवटी का किला अपने मध्यप्रदेश के रीवां जिले में है। जो पूरे निषाद समाज के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। यह हर्ष का विषय हमेशा हमेशा बना रहे इसकी जिम्मेवारी हम निषाद समाज के एक एक लोग जो वर्तमान में हैं और जो आनेवाले हैं सबकी है। हम सब निषाद समाज के हर व्यक्ति की उक्त देवस्थली से लगाव है और सदैव बना रहे के लिए निषाद समाज हर स्तर पर निषाद समाज की कार्यसमितियां बना करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से हमेशा उक्त की निगरानी और ध्यान रखे जाने का विचार किया है। जिसके लिए निषाद समाज के लोगों के निवास करने के हर स्थान पर निषाद समाज के प्रतिनिधियों का चयन किया जाना और हर स्तर पर उनकी संरक्षण बाडी बनाया जाना आवश्यक है। जिसके लिए निषाद पर्सनल लॉ बनाई गई है और उक्त के अनुसार हर स्तर पर प्रतिनिधियों का चयन किया जाना है। स्थानीय स्तर गाँव/वार्ड/नगर पंचायत पर प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए तथा स्थानीय स्तर के लोगों का श्रद्धा सुमन अपने आराध्य तक पहुँचाने के लिए और अपने आराध्य का प्रसाद उन तक पहुँचाने के लिए हर स्थानीय स्तर पर स्थानीय विस्तारक होंगे तथा स्थानीय विस्तारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विकासखण्ड/ब्लाक विस्तारक होंगे और उनके ऊपर जिला विस्तारक होंगे और उनके ऊपर प्रदेश विस्तारक होंगे।

केवटी के किला पर केवट जयंती प्रति वर्ष वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अक्षय तृतिया को मनाया जायेगा। नये पदाधिकारी बैशाख शुक्ल द्वितिया को सायंकाल तक केवटी के किला रीवां मध्यप्रदेश पहुँचेंगे और सायंकाल ही अपनी कार्यकारणी की अग्रिम वर्ष की गतिविधियों और रणनीति को प्रस्तुत करेंगे और प्रातःकाल निषाद बेला में केवट जयंती मनायेंगे।

पुराने पदाधिकारी अपने अपने स्तर पर अपने मुख्यालय पर वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अक्षय तृतिया को दिनभर के केवट जयंती का आयोजन करेंगे और अपनी लेखा जोखा देंगे व अपने कार्यकाल में के उत्कृष्ट कार्य और गतिविधियां करने वालों को सम्मानित करेंगे।

स्थानीय स्तर पर द्वितिया को सायंकाल व प्रातःकाल केवट जी की आरती कर जयंती मनायेंगे और दिन में अपने जिले के मुख्यालय पर जाकर जिले की कमेटी के साथ केवट जयंती मनायेंगे।

केवट जयंती और निषाद समाज के विकास के लिए निषाद समाज (ट्रस्ट) के पंजीकृत कार्यालय के खाता सं 318321010000038 - IFSC - UBIN0931837 में या निषाद समाज जिला इकाई जबलपुर चालू खाता (करेंट अकाउंट) ग्वारीघाट यूको बैंक नंबर 11710210001271, ऑनलाइन सर्विस हेतु UPI ID 11710210001271@ucobank तथा IFSC UCBA0001171 में भेजकर उक्त के प्रमाण के साथ अपना परिचय (बायोडाटा) अपने हस्ताक्षर के साथ **पंजीकृत कार्यालय** C/O रमेश निषाद प्रवंधक निषाद मोहल्ला चकप्यारअली, परगना हवेली तहसील सदर जौनपुर उत्तर प्रदेश 222001 के पते पर या सम्पर्क नं कार्यकारी 7897314809 व प्रवंधक 7275701101, या जबलपुर कार्यालय : निषाद समाज जिला इकाई जबलपुर कार्यालय C/O राजेन्द्र सिंह केवट पता 2582/01, पवित्र नगर, लालकुआँ, पोस्ट पोली पाथर, ग्वारीघाट रोड, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश पिन कोड 482008 के पते पर भेज सकते हैं। मो0 नं0 अध्यक्ष (निषाद जिला इकाई जबलपुर)9755013821, प्रबंधक (निषाद जिला इकाई जबलपुर) 9516213054 को भी भेज सकते हैं।

नियम 31 – अन्य जाति उपजाति के कार्यक्रमों को जोड़ने का विकल्प -*अन्य जितने भी जाति उपजाति समुदाय जुड़ते रहते हैं अपने ईष्ट के कार्यक्रमों का निर्धारण कराते हैं सबकी सूचना इसी प्रकार समय समय पर जोड़ा जाता रहेगा।*

अन्य जो भी प्ररूप की आवश्यकता होती है या बनाई जाती है नियम में आगे जोड़ा जाता रहेगा।

.....